FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0028 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 01/02/2026 20:28 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	238

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** बुधवार **Date From (दिनांक से):** 28/01/2026 **Date To (दिनांक तक):** 28/01/2026

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 19:34 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 01/02/2026 **Time (समय):** 18:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 01/02/2026 20:28:56 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 545 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** SHMSHAN GHAT KE PASS FALOZ

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** BHAVESH PATIDAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** HUKA PATIDAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2003 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	OADA FALA GALIYANA, AASPUR, DOWARA, DUNGARPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	OADA FALA GALIYANA, AASPUR, DOWARA, DUNGARPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PRAKESH CHANDRA		पिता:KODAR LAL PATEL	1. HATHAUD POST KAROLI,BICHHIWARA,DUNGARPUR,RAJASTHAN,INDIA
2	ASHOK KUMAR PATIDAR		पिता:CHANDRESHWAR PATIDAR	1. VAZAKHRA,GARHI,BANSWARA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदयजी, वाक्यात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 28.01.2026 को समय 10.00 ए.एम पर परिवादी श्री भावेश पाटीदार पुत्र श्री हुका पाटीदार उम्र 23 वर्ष निवासी ओडा फला गजियाणा तहसील आसपुर पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर व सहपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार पुत्र श्री हुका पाटीदार उम्र 31 वर्ष निवासी ओडा फला गजियाणा तहसील आसपुर पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय हुये परिवादी श्री भावेश पाटीदार ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय कि पेश की "निवेदन है कि मै प्रार्थी भावेश पाटीदार पुत्र श्री हुका पाटीदार उम्र 23 वर्ष निवासी ओडा फला गलियाणा तहसील आसपुर पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर का रहने वाला हुं। मै दिनांक 18.01.2026 रविवार को दिन मे करीब 02.30 बजे इण्डियन पेट्रोल पम्प के पास नयागांव मे खडा था। इतने मे पुलिस की एक गाडी आकर मेरे पास रूकी और उसमे बैठे हुये पुलिसवाले ने मुझसे पूछा की निलेश पिता केवजी पाटीदार निवासी नयागांव का घर किधर है तो मैंने कहाँ की मुझे निलेश के घर का पता नही है। फिर मुझे पुलिसवाले ने मेरा नाम पूछा तो मेने मेरा नाम भावेश पाटीदार होना बताया जिस पर पुलिसवाले ने मुझ से कहा की तेरा मोबाईल मुझे दे जिस पर मेने मेरा मोबाईल पुलिसवाले को दिया उसने मेरा मोबाईल खोलकर देखा और मुझे कहा की तुभी लोकेन्टो खेलकर लोगो के साथ ठगी करता है। तेरे मोबाईल मे बहुत सारे लेन-देन हो रखे है। यह कहते हुये मुझे पुलिसवाले ने पुलिस की गाडी मे बैठाकर वहा से पुलिस थाना दोवडा की तरफ रवाना हुये। रास्ते मे पुलिसवाले ने मुझे बताया की मेरा नाम प्रकाश पाटीदार है। मेरी डयूटी पुलिस थाना दोवडा मे है। दोवडा थाने मे सीआई साहब भी पाटीदार है, मै सीआई साहब से बात करके तेरे खिलाफ मुकदमा नही होने दुंगा व तेरा मोबाईल भी तुझे वापस दे दुंगा। तुम ऑन लाईन गेम खेलकर लोगो के साथ ठगी कर रहे हो पुलिस थाने मे मुकदमा दर्ज हो गया तो जिन्दगी खराब हो जायेगी। महीनो तक जमानत नही होगी मै तुझे अभी यही पर उतार देता हुं और मेरे मोबाईल नम्बर लिखकर देता हुं। तुम अपने किसी समझदार परिवारवाले से बात करवाना नही तो तुम दो लाख रूपये लेकर चुपचाप पुलिस थाना दोवडा आकर मुझसे मिल कर दो लाख रूपये मुझे दे देना मै सीआई साहब से बात कर के तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज नही होने देंगे और तेरा मोबाईल वापस दे देंगे । उसके बाद पुलिस की गाडी रोक कर मुझे वागदरी उतार कर चले गये। जिस पर मैने यह बात मेरे बडे भाई महेन्द्र जी पाटीदार को बताई। दिनांक 20.01.2026 व 24.01.2026 को मेरे भाई महेन्द्र जी ने प्रकाश जी पाटीदार कानिस्टेबल पुलिस थाना दोवडा से जरिये मोबाईल पर वार्ता की जिस पर प्रकाश जी कानिस्टेबल ने कहा मोबाईल पर बात नही होती पुलिस थाना दोवडा आकर मिलो। इस प्रकार श्री प्रकाश जी पाटीदार मुझ से दो लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहे है। मै श्री प्रकाश जी पाटीदार कानिस्टेबल को रिश्वत राशि नही देना चाहता हुं रिश्वत लेते हुऐ रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं। मेरी श्री प्रकाश जी पाटीदार कानिस्टेबल से पुरानी कोई लेन-देन बाकी नही है, न ही कोई पुरानी दुश्मनी है, रिपोर्ट पर उचित कार्यवाही करावे।"मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी श्री भावेश पाटीदार द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को शब्द ब शब्द पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी व सहपरिवादी द्वारा सही होना एवं प्रार्थना पत्र पर परिवादी श्री भावेष पाटीदार स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं स्वय के हस्ताक्षरित होना स्वीकार किया। परिवादी द्वारा अपनी पहचान के सम्बन्ध में स्वंय का आधार कार्ड पेश किया जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। उक्त लिखित रिपोर्ट का अवलोकन करने से मामला रिश्वत राशि लेन देन का पाया गया। जिस पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की तो परिवादी ने बताया कि मैं मेरे बडे भाई महेन्द्र पाटीदार के साथ उपस्थित हुआ हु। मेरी तरफ से प्रकाशजी से मिलने मेरे भाई महेन्द्र मेरे साथ आयेगे और बात भी करेगे। मेरा वीवो कम्पनी का Y20S है । जिसमे एयरटेल कम्पनी की दो सीमे नं0 एवं लगी हुई है। जिसको प्रकाश पाटीदार पुलिस थाना दोवडा ने अपने पास रख लिया है अभी तक उसके पास ही है। जिस पर कार्यालय के कानि0 श्री महेशचन्द्र नं0 394 को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री भावेश पाटीदार व सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार तथा कानि0 श्री महेशचन्द्र नं0 394 का आपस में परिचय कराया गया व परिवादी व कानि0 के मोबाईल नम्बर परस्पर साझा कराये गये। परिवादी श्री भावेश पाटीदार ने बताया की आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानिस्टेबल मुझसे रिश्वत राशि की बात नही करेगा वो मेरे भाई श्री महेन्द्र पाटीदार से ही बात करेगा। अग्रिम रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही के क्रम में मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखी डिजिटल वोईस रिकॉर्डर व एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड SANDISK 4GB निकाल कर डिजिटल वोईस

रिकॉर्डर में मेमोरी कार्ड लगाया जाकर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर को चालू कर अवलोकन किया गया तो डिजिटल वोईस रिकॉर्डर व उसमें लगाया गया मेमोरी कार्ड खाली (रिक्त) होना पाया गया। परिवादी व सपरिवादी को डिजिटल वोईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की समझाईश कर संदिग्ध श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. पुलिस थाना दोवडा से अग्रिम रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय् उसमें लगाये गये मेमोरी कार्ड के सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार को सुपुर्द कर श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. से वार्ता हेतु आवश्यक हिदायत देकर कानि. श्री महेशचन्द्र नं0 394 व परिवादी तथा सपरिवादी मय डिजिटल वोईस रिकॉर्डर के परिवादी की कार से समय करीब 11.20 ए.एम पर पुलिस थाना दोवडा की तरफ रवाना किया गया। तत्पश्चात समय करीब 01.30 पी.एम पर श्री महेशचन्द्र कानि. न. 394 मय डिजिटल वोईस रिकॉर्डर के ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया व श्री महेशचन्द्र कानि. ने डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि ”मै श्रीमान के निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से रवाना हो समय 11.41 ए.एम पर पुलिस थाना दोवडा के पास पहूच समय करीब 11.42 ए.एम पर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार को सुपुर्द कर संद्विग्ध श्री प्रकाशचन्द्र पटेल से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु परिवादी व सहपरिवादी को पुलिस थाना दोवडा के लिए रवाना किया तथा मै आस-पास अपनी गोपनीयता छिपाते हुए मुकिम रहा। तत्पश्चात समय करीब 12.40 पी.एम पर परिवादी व सपरिवादी मेरे पास आकर सपरिवादी ने मुझे डिजीटल वोईस रिकॉर्डर पेश किया जिसे मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। सपरिवादी ने मुझे बताया कि रिश्वत राशि मांग का सत्यापन हो चुका है। जिस पर मन् कानि. डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के रवाना हो ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार व संद्विग्ध श्री प्रकाश चन्द्र पटेल कानि. तथा श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुना गया तो परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट में बताये गए कथनो की ताईद होकर संद्विग्ध श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. तथा श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि द्वारा परिवादी व सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार से रिश्वत राशि 1,50,000/-रूपये की मांग करने की पुष्टि हुई। डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को यथास्थिति सुरक्षित मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखा। समय करीब 02.07 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार को मोबाईल पर कॉल किया व सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार को मय रिश्वत राशि 1,50,000/- रूपये के ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित होने व गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात समय करीब 03.15 पी.एम पर परिवादी श्री भावेश पाटीदार व सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार उपस्थित कार्यालय आया व सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मैं श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि को देने के लिये रिश्वत राशि के रूप में 1,50,000/- रूपये की व्यवस्था करके साथ लेकर आया हूँ । परिवादी व सपरिवादी को कार्यालय मे बैठाया गया। समय करीब 03.20 पी.एम पर श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद डूंगरपुर को एक राजपत्रित अधिकारी व एक अराजपत्रित कर्मचारी को पाबन्द कर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर भिजवाने बाबत् कार्यालय के पत्र क्रमांक 170 दिनांक 28.01.2026 से तेहरीर जारी कर श्री जितेन्द्र कुमार कानि. न.390 को जिला परिषद डूंगरपुर हेतु रवाना किया गया। समय 04.15 पी.एम पर कानि. श्री जितेन्द्र कुमार व दो स्वतंत्र गवाह उपस्थित कार्यालय आये। कानि. श्री जितेन्द्र कुमार ने कार्यालय जिला परिषद (पंचायती राज प्रकोष्ठ) डूंगरपुर का पत्र क्रमांक जिपडूं/संस्थापन/2025-26/90 दिनांक 28.01.2026 लाकर पेश किया जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात दोनो स्वतन्त्र गवाहान को मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनसे उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री नौषाद खां पुत्र श्री निसार खां जाति मुसलमान उम्र 59 वर्ष निवासी सराडा सीएचसी के पास सराडा तहसील सराडा जिला सलुम्बर हाल प्रशासनिक अधिकारी जिला परिषद डूंगरपुर मो.न.
व श्री बंशीलाल परमार पुत्र श्री अलकेश्वर परमार जाति परमार (मीणा) उम्र 50 वर्ष निवासी डाबेला पोस्ट दोवडा तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर हाल वरिष्ठ सहायक जिला परिषद (प.प्र.) डूंगरपुर मो.न. होना बताया। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली ट्रैप कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने हेतु मौखिक सहमति चाही गई जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान द्वारा अपनी-अपनी मौखिक सहमति दी गई। जिस पर कार्यालय कक्ष में बैठे परिवादी श्री भावेश पाटीदार व सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार को मन् पुलिस उप अधीक्षक के कक्ष मे बुलाकर परिवादी व सपरिवादी तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 28.01.2026 को परिवादी श्री भावेश पाटीदार द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को परिवादी, सपरिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने शब्द ब शब्द की पुष्टि कर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर को चालू कर दिनांक 28.01.2026 को सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार एवं संदिग्ध श्री प्रकाश चन्द्र पटेल कानि. तथा श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाये गये तो दोनो स्वतंत्र गवाहान के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की पुष्टि की गई। समय 04.46 पी.एम पर सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार ने बताया की श्री प्रकाश पटेल कानिस्टेबल के मोबाईल नम्बर

से मेरे मोबाईल नम्बर पर कॉल आ रहा है। जिस पर सपरिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन करा सपरिवादी की संदिग्ध श्री प्रकाश पटेल कानिस्टेबल से वार्ता करवाई गई तो कानिस्टेबल प्रकाश पटेल रिश्वत राशि लेकर थाने पर बुला रहा है। उक्त वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात समय करीब 05.00 पी.एम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर सपरिवादी ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 300 नोट कुल राशि 1,50,000/-रूपये प्रस्तुत किये। सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार की जामा तलाशी गवाह श्री नौशाद खां से लिवाई गई। जिसमें सपरिवादी के पास एक मोबाईल फोन के अलावा कुछ नही मिला जिसे सपरिवादी को सुपुर्द किया गया। सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटों पर श्री जितेन्द्र कानि. नं. 390 से मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल कि दराज में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशीयो को निकलवाया जाकर कार्यालय मे टेबल पर अखबार बिछाकर उपरोक्त नोटों के दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। संदिग्ध श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. तथा श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. को देने के लिए सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार द्वारा पेश किये गये नोटों को श्री जितेन्द्र कानि. से ही सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार की पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में कोई शेष नही छोड़ते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री अख्तर खा हैड कानि. न. 05 से एक प्लास्टिक के डिस्पोजल के साफ गिलास में साफ पानी मंगवाया जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी तथा सपरिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में श्री जितेन्द्र कानि. की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी, सपरिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए मन् पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि यदि आरोपीगण द्वारा सपरिवादी से रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलवाया जाएगा तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपीगण ने रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री जितेन्द्र कानि. से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री जितेन्द्र कानि. से ही मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल कि दराज में सुरक्षित रखवाई गई तथा सपरिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह संदिग्धगण के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। सपरिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा रिश्वत राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। श्री अख्तर खां हैड कानि. से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशिया, प्लास्टिक के डिस्पोजल, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। कार्यालय में उपस्थित स्टाफ के सदस्यों व दोनो गवाहान तथा परिवादी सपरिवादी का आपस में परिचय करवाया गया तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथा संभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए सपरिवादी व संदिग्धगण के मध्य रिश्वत राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार को हिदायत दी गई कि रिश्वत् राशि के लेन-देन के वक्त संदिग्धगण से होने वाली वार्तालाप को डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड करें। परिवादी, सपरिवादी स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री जितेन्द्र कानि. को ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। समय 05.46 पी.एम पर सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार ने बताया की श्री प्रकाश पटेल कानिस्टेबल के मोबाईल नम्बर से मेरे मोबाईल नम्बर पर कॉल आ रहा है। जिस पर सपरिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन करा सपरिवादी की संदिग्ध श्री प्रकाश पटेल कानिस्टेबल से वार्ता करवाई गई तथा उक्त वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। समय के अभाव में फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट अकब से मुर्तिब की गई। तत्पश्चात सपरिवादी को डिजीटल वोईस रिकॉर्डर चालु व बंद करने की विधि को पुनः समझाकर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को सपरिवादी को सुपूर्द कर संदिग्धगण श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. तथा श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. से रिश्वत राशि लेनदेन वार्तालाप को उक्त डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की आवश्यक हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात समय करीब 06.00 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को बुलाकर मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज में से सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी (Galaxy XCover7 ekWMy-SM-G556B), चार्जींग केबल, पॉवर बैंक व दो रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड निकलवाकर उक्त समस्त उपकरणों की जांच की गई

तो उक्त समस्त उपकरण सही ढंग से संचालित होना पाये गये तथा सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी में एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) डलवाकर उक्त सरकारी मोबाईल फोन को श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को सुपुर्द कर रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान वीडियोग्राफी कर वीडियों को उक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करने तथा बरामदगी की वीडियोग्राफी के पश्चात उक्त मूल मेमोरी कार्ड मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द करने हेतु निर्देशित किया गया तथा इसके अतिरिक्त संदिग्ध के आवास की खाना तलाशी की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन के माध्यम से वीडियोग्राफी करने हेतु एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को सुपुर्द कर वीडियोग्राफी हेतु निर्देशित किया गया। समय करीब 06.10 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री महेशचन्द कानि. 394 व परिवादी श्री भावेश पाटीदार व सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार को उसकी कार से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय् मेमोरी कार्ड के पुलिस थाना दोवडा कीओर रवाना कर पिछे-पिछे श्री धिरेन्द्र सिंह कानि. न. 546 एवं श्री दीपक कानि. न. 87 को निजी मोटरसाईकिल से व श्री वीर विक्रम सिंह कानि न. 189, श्री बाबु लाल कानि. 393 को निजी मोटरसाईकिल से रवाना कर पिछे-पिछे मन् पुलिस उप अधीक्षक, स्वतन्त्र गवाहान श्री नौषाद खां , श्री बंशीलाल, श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक, श्री अख्तर खां हैड कानि. 05 मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधनों के प्राईवेट वाहन से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से पुलिस थाना दोवडा की तरफ रवाना हुए । समय करीब 06.40 पी. एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से रवानाशुदा पुलिस थाना दोवडा के आस-पास पंहुच अपने-अपने वाहनो को रोड के साईड में खडा किया। सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार व कानि. महेशचन्द्र तथा एक अन्य व्यक्ति सपरिवादी की कार से उतर कर मन् पुलिस उप अधीक्षक के पास आये जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा सपरिवादी से अन्य व्यक्ति के बारे मे पूछा तो सपरिवादी ने बताया की ये डायालाल पाटीदार हमारा रिश्तेदार है। यह भी हमारे साथ आयेगा। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डायालाल पाटीदार को अपने मोबाईल नम्बर दिये तथा हिदायत दी कि रिश्वत राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। तत्पश्चात सपरिवादी ने अपने पास से डिजिटल वोईस रिकॉर्डर को निकाल कर मन् पुलिस उप अधीक्षक को दिया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा सपरिवादी को डिजीटल वोईस रिकॉर्डर चालु व बंद करने की विधि को पुनः समझाकर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को सपरिवादी को सुपूर्द कर संदिग्धगण श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. तथा श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. से रिश्वत राशि लेन देन वार्तालाप को उक्त डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की आवश्यक हिदायत देकर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को शुरू कर सपरिवादी को सुपुर्द कर परिवादी, सपरिवादी व डायालाल पाटीदार को पुलिस थाना दोवडा के लिए रवाना किया व मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो मे अपनी-अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए सपरिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे के इन्तजार में पुलिस थाना दोवडा के आस-पास मुकिम हुये। समय करीब 07.34 पी.एम पर पर श्री डायालाल पाटीदार ने अपने मोबाईल नम्बर से मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल कर पूर्व निर्धारित ईशारा किया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक व हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो से रवाना हो परिवादी, सपरिवादी व श्री डायालाल पाटीदार के पास पहुंचे तो सपरिवादी रिश्वती राशि के लेनदेन के वक्त हुई वार्तालाप जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की, उस डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द किया। जिसे मेरे द्वारा बंद कर मेरे पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार ने बताया की समय 06.52 पी.एम पर श्री प्रकाष पटेल कानिस्टेबल के मोबाईल नम्बर से मेरे मोबाईल नम्बर पर कॉल आया था। जिसे मेरे द्वारा मेरे मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन कर मेरी व श्री प्रकाश पटेल कानिस्टेबल के बिच जो वार्ता हुई उक्त वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया था। तत्पश्चात सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार ने बताया की संदिग्धगण श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. तथा श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. एक अलटो कार लेकर आये तथा हमे अन्दर बैठा कर यहाँ फलोज वाले रोड पर स्थित श्मशान के पास ले जाकर हमसे रिश्वत राशि उसकी अल्टो कार के डेशबोर्ड पर बनी दराज मे रखवा दिये। मैंने भावेश के मोबाईल के बारे मे पुछा तो प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. ने बताया कि मोबाईल कल दूंगा। तत्पश्चात वहा से रवाना होकर थाने के पास पहुचे जहाँ पर हमको कहा की आप उतरो मैं गाडी साईड मे लगाता हुं। जिस पर हम निचे उतरे और श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. तथा श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. दोनो कार लेकर चले गये। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो मुख्यालय जरिये मोबाईल वार्ता कर आरोपी के नम्बर की लोकेशन निकाल कर परिवादी, सपरिवादी तथा श्री डायालाल पाटीदार मय जाप्ता अपने-अपने वाहन से आरोपी की तलाश करते हुये पुनाली की तरफ रवाना हुये जहा रास्ते मे आरोपी की कार दुकान के बाहर खडी दिखी, कार मे कोई नही था कुछ देर ईन्तजार करने पर आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र अन्य कार से वहा आया जिसे ब्यूरो टीम द्वारा पकडा। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय पत्र दिखाते हुए स्वंय का तथा स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रैप पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा आरोपी से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम श्री प्रकाशचन्द्र पिता श्री कोदर लाल पटेल निवासी हथौड पोस्ट करौली तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर हाल कानिस्टेबल न. 326 पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर का

होना बताया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपी से रिश्वत राशि के बारे मे पूछा तो आरोपी द्वारा रिश्वत राशि के बारे मे नही जानना बताया तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि के बारे मे पूछा गया तो उसने बताया की श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि दोवडा मे अपने किराये के मकान पर गये जिस पर आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र को यथास्थिति वाहन मे बैठाकर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के रवाना हो दोवडा बस स्टेण्ड के पास श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. के किराये के मकान पर पहुचे जहा हैड कानि. श्री अशोक कुमार पाटीदार मौजुद मिला। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय पत्र दिखाते हुए स्वंय का तथा स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रैप पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा आरोपी से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम श्री अशोक कुमार पाटीदार पिता चन्द्रेश्वर जाति पाटीदार उम्र 39 वर्ष निवासी वजाखरा पुलिस थाना गढी हाल हैड कानि. न. 455 पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर का होना बताया। जिसे यथास्थिति वाहन मे बैठाकर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के रवाना हो पुलिस थाना दोवडा पंहुचे जहा आरोपीगण से रिश्वत राशि बाबत पूछताछ की गई लेकिन आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि के बारे मे नही बताया। जिस पर सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार ने बताया इन्होने अपनी मांग के अनुसार 1,50,000/-रूपये मेरे से अपनी अल्टो कार के डेश बोर्ड के दराज मे रखवाये थे। तत्पश्चात आरोपीगण की तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री नौशाद खां से लिवाई गई तो आरोपीगण के पास एक-एक मोबाईल के अलावा कुछ नही मिला आरोपीगण के पहने हुए कपडो की भी बडी गहनता से तलाशी लिवाई गई तो उक्त राशि आरोपीगण के पास से बरामद नही हुई। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादीगण एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपीगण को तसल्ली देकर रिश्वत राशि 1,50,000/- रूपये के बारे में पूछा तो आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि के बारे में अनभिज्ञता जताने लगे। आरोपीगण से रिश्वत राशि बरामदगी के काफी प्रयास किये गए परन्तु आरोपीगण पूर्व कहे कथनों पर ही तटस्थ रहे। तत्पश्चात आरोपीगण द्वारा सपरिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने की स्पष्टता हेतु अग्रिम कार्यवाही के क्रम में एल्टो कार नम्बर GJ 09 BB 3605 के डेशबोर्ड के अन्दर रखे कागज का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से कानि. श्री वीर विक्रम सिंह से ट्रैप बॉक्स मे से एक साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में पुलिस थाना दोवडा से पीने के पानी की बोतल मे से पानी भरकर उक्त गिलास मे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी, सपरिवादी को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया। जिस पर ट्रैप बॉक्स से एक रूई को निकालकर पानी से भिगोकर अल्टो कार नम्बर GJ 09 BB 3605 के डेश बोर्ड मे रखे कागज को बाहर निकालकर कागज पर रूई से घुमाया जाकर घोल मे डूबाया जाकर उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी, सपरिवादी को दिखाया गया तो उक्त घोल का धोवन गुलाबी होना बताया। जिस पर उक्त घोल को दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर मार्क D1 मार्क D2अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशियों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये तत्पश्चात उक्त कागज को जब्त कर सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क D अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर ब्यूरों कब्जे लिया गया। तत्पश्चात आरोपी के दोनों हाथों का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से कानि. श्री वीर विक्रम सिंह से प्राईवेट वाहन में रखे हुए ट्रेप बॉक्स को मंगवा कर ट्रैप बॉक्स मे से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में पुलिस थाना दोवडा से पीने के पानी की बोतल मे से अलग-अलग पानी भरकर उक्त दोनों गिलासों में अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी, सपरिवादी को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया। जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन का मिश्रण मटमेला हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो मटमेला होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क PRH1 व PRH2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसी तरह दूसरे प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल मे आरोपी के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवण का रंग हल्का मटमेला हो गया। जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो हल्का मटमेला का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क PLH1 व PLH2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशिया कब्जे ब्यूरो ली गई। उसी प्रकार आरोपी श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. के के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन का मिश्रण मटमेला हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो मटमेला होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क ARH1 व ARH2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शीशिया कब्जे ब्यूरो ली गई। इसी तरह दूसरे प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल मे आरोपी के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवण का रंग हल्का मटमेला हो गया। जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो हल्का मटमेला का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क ALH1 व ALH2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशीयां कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पश्चात मन् पुलिस उप

अधीक्षक द्वारा आरोपीगण से तसल्ली देकर रिश्वत राशि के बारे मे बार-बार पूछा गया तो आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि के बारे मे कुछ नही जानना बताया। कार्यवाही मे प्रयुक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को स्वतन्त्र गवाहान की मौजुदगी में जलाकर नष्ट किये गये। फर्द बरामदगी ब्यूरो कार्यालय के लैपटॉप पर पुलिस थाना दोवडा पर समय करीब 11.20 पी.एम. पर समाप्त की गई। उक्त कार्यवाही के दौरान धारा 105, बी.एन.एस.एस. 2023 की पालना करते हुए उक्त रिश्वत राशि बरामदगी की वीडियोग्राफी मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री बाबुलाल कानि0 नम्बर 393 द्वारा सरकारी मोबाईल फोन (सेमसंग कम्पनी) के माध्यम से ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमे◌ारी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। हालात उच्चाधिकारीयों को अवगत कराये गए, उच्चाधिकारीयो के निर्देश प्राप्त किये। तत्पश्चात समय करीब 11.25 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान सहपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार एवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानिस्टेबल के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पास रखे डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा दिनांक 28.01.2026 को समय 04.46 पी.एम व समय 05.46 पी.एम तथा समय 06.52 पी.एम पर सहपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार के मोबाईल नम्बर पर आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानिस्टेबल के मोबाईल नम्बर से हुई मोबाईल वार्ताओ जिसे सहपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लैपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ताओ को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ताओ की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री महेशचन्द्र कानि0 नम्बर 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा उपरोक्त वार्ताओ में सहपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानिस्टेबल की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। दिनांक 29.01.2026 समय 01.20 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अषोक कुमार पाटीदार हैड कानि, परिवादी श्री भावेश पाटीदार सपरिवादी तथा श्री महेन्द्र पाटीदार के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्व श्री प्रकाशचन्द्र पटेल, कानिस्टेबल न. 326 पुलिस थाना दौवडा जिला डूंगरपुर व अन्य में कार्यवाही के दौरान आरोपीगण द्वारा परिवादी से एक अल्टो कार न. GJ 09 BB 3605 के डेशबोर्ड में रखे कागज पर रिश्वत राशि रखी थी जिसका धोवन लिया गया। उक्त कागज प्रकरण में अहम साक्ष्य होने से उक्त कागज को वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा मार्क D दिया गया। चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 01.30 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान व सहपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार व आरोपी प्रकाशचन्द्र पटेल कानि तथा श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा दिनांक 28.01.2026 को समय 07.07 पी.एम पर सहपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार एवं आरोपी प्रकाशचन्द्र पटेल कानि तथा श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. के मध्य हुई दिनांक 28.01.2026 को समय 07.07 पी.एम. लेनदेन रूबरू वार्ताओ जिसे सहपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लैपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ताओ को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ताओ की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री महेशचन्द्र कानि0 नम्बर 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा उपरोक्त वार्ताओ में सहपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानिस्टेबल की व एक आवाज आरोपी श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 02.15 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियानों, स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता, परिवादीगण एवं डिटेनशुदा आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. को हमरा लेकर पुलिस थाना दोवडा से कानि. के किराये के मकान बस स्टेण्ड दोवडा पर रिश्वत राशि बरामदगी के प्रयास सरकारी वाहन से रवाना हुआ। समय करीब 03.05 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियानों, स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता, परिवादीगण एवं डिटेनशुदा आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. के रवानाशुदा आरोपी के मकान बस स्टेण्ड दोवडा पर पंहुच रिश्वत राशि बरामदगी के प्रयास किये गये रिश्वत राशि बरामद नही होने पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान पुलिस थाना दोवडा पंहुचे। तत्पश्चात समय करीब 03.10 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियानों, स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता, परिवादीगण एवं डिटेनशुदा आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि., सिलचिटशुदा आर्टिकल, डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, ट्रैप बॉक्स एवं आवश्यक संसाधन के वाहनो से पुलिस थाना दोवडा से ब्यूरो चोकी डूंगरपुर

के लिए रवाना हुये। समय करीब 03.30 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियानों, स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता, परिवादीगण एवं डिटेनशुदा आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अषोक कुमार पाटीदार हैड कानि., सिलचिटशुदा आर्टिकल, डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, ट्रैप बॉक्स एवं आवश्यक संसाधन के वाहनो से पुलिस थाना दोवडा से ब्यूरो चोकी डूंगरपुर पहुंचे। समय करीब 04.00 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान, सहपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार एवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानिस्टेबल के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पास रखे डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा दिनांक 28.01.2026 को समय 11.42 पी.एम सहपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार एवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानिस्टेबल के मध्य रूबरू हुई वार्ता जिसे सहपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लैपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ताओ को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ताओ की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री महेशचन्द्र कानि0 नम्बर 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा उपरोक्त वार्ताओ में सहपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज श्री प्रकाश चन्द्र पटेल कानिस्टेबल की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की । इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया । उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 07.42 ए.एम पर परिवादी श्री भावेश पाटीदार के विरूद्व पुलिस थाना दोवडा पर प्रकरण/परिवाद दर्ज हो तो उसकी प्रमाणित फोटो प्रतिया, श्री निलेश पिता केवजी पाटीदार निवासी नयागांव के विरूद्व दर्ज परिवाद कि प्रमाणित फोटो प्रतिया, दिनांक 18.01.2026 व दिनांक 28.01.2026 को श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. नं0 326 व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. नं0. 455 पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर के आमद/रवानगी की रोजनामचा आम की नकल रपट की प्रमाणित प्रतिया उपलब्ध कराने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना दोवडा को जरिये पत्र क्रमांक 171 दिनांक 29.01.2026 जारी किया जाकर मेल किया गया । समय करीब 10.30 ए.एम पर श्री डायालाल पाटीदार पुत्र स्व. श्री गोकुल जी पाटीदार उम्र 55 वर्ष जाति पाटीदार निवासी कोकापुर पुलिस थाना सागवाडा जिला डूंगरपुर हाल एएसआई पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर हाजिर कार्यालय आये। कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर के पत्र क्रमांक 394 दिनांक 29.01.2026 के संलग्न इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 171 दिनांक 29.01.2026 की पालना मे रिकोर्ड की प्रमाणित प्रतिया पेष की जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात समय करीब 10.45 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. के समक्ष दिनांक 28.01.2026 को सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार एवं संदिग्ध श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. तथा श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व परिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार व श्री प्रकाश चन्द्र पाटीदार हाल कानि 326,पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर के मध्य रिश्वत राशि लेन देन के दौरान हुई वार्ताओं, एव मोबाईल वार्ताए जिनकी मूल मेमोरी कार्ड जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्ड में हैं उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्ड को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि. श्री बाबुलाल से लैपटॉप से कनेक्ट करा उक्त वार्ताओं को बारी-बारी से चलाकर श्री डायालाल पाटीदार पुत्र स्व. श्री गोकुल जी पाटीदार उम्र 55 वर्ष जाति पाटीदार निवासी कोकापुर पुलिस थाना सागवाडा जिला डूंगरपुर हाल एएसआई पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर को सुनाई गई, तो उक्त दर्ज वार्ताओ में एक वार्ता श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. तथा दुसरी वार्ता श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. की होना बताया। श्री डायालाल पाटीदार ने बताया कि मैं पुलिस थाना दोवडा में एएसआई के पद पर पदस्थापित हूँ । इसलिए मैं श्री प्रकाश चन्द्र पटेल कानि. तथा दुसरी वार्ता श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. की आवाज को पहचानता हूँ तथा अन्य आवाज की पहचान नहीं की गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात श्री डायालाल पाटीदार हाल एएसआई पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर को रूखसत किया गया। समय करीब 12.45 पी.एम पर आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पिता श्री कोदर लाल पटेल निवासी हथौड पोस्ट करौली तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर हाल कानिस्टेबल न. 326 पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61(2), 238 बी.एन.एस 2023 में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार 35 ¼B½¼ii½ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानो की पालना कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के ससुर श्री शंकर लाल पटेल निवासी ओडा बडा को मोबाईल नम्बर 8094190155 पर नियमानुसार दी गई । तत्पश्चात समय करीब 01.00 पी.एम पर आरोपीश्री अषोक कुमार पाटीदार पिता चन्द्रेश्वर जाति पाटीदार उम्र 39 वर्ष निवासी वजाखरा पुलिस थाना गढी हाल हैड कानि. न. 455 पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61(2), 238 बी.एन.एस 2023 में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार 35 ¼B½¼ii½ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानो की पालना कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के पिता श्री चन्द्रेश्वर पिता श्री जितेंग

पाटीदार को मोबाईल नम्बर को नियमानुसार दी गई। समय करीब 01.15 पी.एम पर आरोपीगण श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. श्री अषोक कुमार पाटीदार हैड कानि. को अपनी आवाज का नमूना एवं स्पष्टीकरण देने हेतु कार्यालय पत्रांक 177,178,179 व 180 दिनांक 29.01.2026 दिये गये। आरोपीगण ने उक्त पत्रों पर ही अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूँ एवं मैं अपना स्पष्टीकरण बाद में प्रस्तुत करूंगा प्रत्युत्तर लिखित में पेश किया । जिसे स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करा शामिल कार्यवाही किया गया। समय करीब 01.30 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी से वीडियोग्राफी करने तथा वीडियो को ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) में रिकॉर्ड करने हेतु सरकारी मोबाईल फोन मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर निर्देशित किया गया था। जिस पर श्री बाबु लाल कानि0 द्वारा रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान की गई वीडियोग्राफी के पश्चात इस समय सरकारी मोबाईल फोन से उक्त मूल मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) निकालकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द किया जिसे मैने अपने पास सुरक्षित रखा। आरोपीगण के किराये के मकान दोवडा में होने से श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 के पास रखे एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) जो पूर्व में श्री बाबु लाल कानि0 को सुपुर्द किया गया था जिसे सरकारी मोबाईल फोन में लगवाकरमन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. व परिवादी श्री भावेश पाटीदार व सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक ब्यूरो जाप्ता श्री अख्तर खां हैड कानि. श्री बाबु लाल कानि. मय सरकारी मोबाईल फोन, लेपटॉप मय आवश्यक संसाधन के सरकारी वाहन से आरोपीगण के किराये के मकान दोवडा की खानातलाशी एवं घटनास्थल निरीक्षण हेतु रवाना हुये। समय करीब 05.35 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. व परिवादी श्री भावेश पाटीदार व सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार, श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक ब्यूरो जाप्ता श्री अख्तर खां हैड कानि. एवं श्री बाबु लाल कानि. मय सरकारी मोबाईल फोन, लेपट्रोप मय आवश्यक संसाधन के सरकारी वाहन के घटनास्थल का निरीक्षण करने हेतु रवानाशुदा फलोज वाले रोड पर स्थित श्मषान दोवडा के पास पंहुच कर नियमानुसार श्री भावेश पाटीदार व सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर रवाना हो। पुलिस थाना दोवडा पंहुचे। जहा अनुसंधान कक्ष मे आरोपी श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि0 नं0 455 के एक लोहे का बॅक्सा जिसमे ताला लगा हुआ मिला। जिस पर आरोपी श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि0 नं0 455 को उक्त ताले की चाबी के बारे मे पुछने पर उसने टेबल की दराज से चाबी निकाल कर दी। जिस पर आरोपी श्री प्रकाश चन्द्र कानि0 नं0 326 से उक्त चाबी से लोहे के बॅक्से पर लगे हुये ताले का लॉक खुलवाया गया। उक्त लोहे के बॅक्से की तलाशी के दौरान मोबाईल फोन VIVO कम्पनी मॉडल नम्बर Y28s5G बंरग परपल मिला। उक्त मोबाईल मे दो सीम लगी हुई जो एयरटेल कम्पनी की हो एक सीम के नम्बर एवं दूसरी सीम के नम्बर है। उक्त मोबाईल फोन परिवादी भावेश पाटीदार ने अपना स्वंय का होना बताया। जिस साथ लेकर रवाना हो आरोपीगण के किराये के मकान दोवडा बस स्टेण्ड पंहुच कर नियमानुसार खाना तलाशी ली गई तथा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 से सरकारी मोबाईल फोन से उक्त खाना तलाशी की विडियोग्राफी करवायी गई तथा फर्द खाना तलाशी रिपोर्ट पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये। आरोपीगणो से रिश्वत की राशि की बरामदगी करना शेष होने से दोवडा बस स्टेण्ड के पास स्थित पवन किराणा स्टोर व पुलिस थाना दोवडा के पास स्थित तिराहे के पास शाश्वत हास्पिटल के बाहर लगे सीसी टीवी केमेरो की फुटेज चैक किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान सरकारी वाहन से रवाना हो हाजिर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पंहुच मुकिम हुये । समय करीब 05.40 पी.एम पर आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि., स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाना आवश्यक होने से श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो जाप्ता श्री अख्तर खां हैड कानि व बाबु लाल कानि. मय सरकारी वाहन के गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि.,का स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु मय तेहरीर के रवाना किये गये। तत्पश्चात समय करीब 06.30 पी.एम पर श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय् श्री अख्तर खां हैड कानि व बाबु लाल कानि. मय सरकारी वाहन के गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि का स्वास्थ्य परीक्षण राजकीय हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय, डूंगरपुर से करा मय परीक्षण रिपोर्ट के उपस्थित हो मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट पेश की जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। समय करीब 06.45 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि, परिवादी श्री भावेश पाटीदार सपरिवादी तथा श्री महेन्द्र पाटीदार के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्व श्री प्रकाशचन्द्र पटेल, कानिस्टेबल न. 326 पुलिस थाना दौवडा जिला डूंगरपुर व अन्य में आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल के रिहायशी किराये का कमरा, पाटीदार काम्प्लेक्स , बस स्टेण्ड दोवडा पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर की खानातलाशी के दौरान् श्री अख्तर खांन हैड कानि. 05 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung कम्पनी के Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल मे लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा विडियोग्राफी की कॉपी कर एक

पेनड्राईव SANDISK Cruzer Blade 08GB तैयार की गयी। जिस पर आईओं पेनड्राईव लिखा जाकर पेनड्राईव को अनशील्ड रखा गया। एवं मूल मेमोरी कार्ड को मोबाईल से पृथक कर मूल मेमोरी कार्ड SanDisk Micro SDHC 8GB मेमोरी कार्ड को कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मार्क M-2 अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 07.00 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि, परिवादी श्री भावेश पाटीदार सपरिवादी तथा श्री महेन्द्र पाटीदार के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्व श्री प्रकाशचन्द्र पटेल, कानिस्टेबल न. 326 पुलिस थाना दौवडा जिला डूंगरपुर व अन्य में आरोपी श्री अशोक कुमार पाटीदार के रिहायशी किराये का कमरा, पाटीदार कॉम्प्लेक्स, बस स्टेण्ड दोवडा पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर की खानातलाषी के दौरान् श्री अख्तर खांन हैड कानि. 05 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung कम्पनी के Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल मे लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा विडियोग्राफी की कॉपी कर एक पेनड्राईव SANDISK Cruzer Blade 08GB तैयार की गयी। जिस पर आईओं पेनड्राईव लिखा जाकर पेनड्राईव को अनषील्ड रखा गया। एवं मूल मेमोरी कार्ड को मोबाईल से पृथक कर मूल मेमोरी कार्ड SanDisk Micro SDHC 8GB मेमोरी कार्ड को कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मार्क M-3 अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 08.30 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि, परिवादी श्री भावेश पाटीदार सपरिवादी तथा श्री महेन्द्र पाटीदार के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्व श्री प्रकाशचन्द्र पटेल, कानिस्टेबल न. 326 पुलिस थाना दौवडा जिला डूंगरपुर व अन्य में दिनांक 28.01.2026 को अलग-अलग समय में हुई परिवादी, सहपरिवादी व आरोपीगण के मध्य रूबरू हुई मांग सत्यापन वार्ता, मोबाईल वार्ता, वाट्सएप मोबाईल वार्ता एवं रूबरू हुई लेनदेन वार्ता उक्त समस्त वार्ताऐं जो प्रक्रिया अनुसार डिजिटल टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, डिजीटल टेप रिकॉर्डर को श्री बाबुलाल कानि. से सरकारी कम्प्यूटर में कनेक्ट करा मूल मेमोरी कार्ड की नियमानुसार हेश वेल्यू निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं को कॉपीकर चार पेन ड्राईव SANDISK Cruzer Blade 08GB की तैयार की गयी । एक मुल पेनड्राईव की नियमानुसार हेश वेल्यू निकलवाकर उस मुल पेनड्राईव को कपडे की थैली में रखा जाकर मार्क PD दिया जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये एवं एक पर आईओ पेनड्राईव तथा दो पर आरोपी पेनड्राईव लिखा गया। आरोपी पेनड्राईव की नियमानुसार हेश वेल्यू निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये, तीनो पेनड्राईव को अनशील्ड रखा गया। एवंमूल मेमोरी कार्ड को डिजीटल टेप रिकोर्डर से पृथक कर मेमोरी कार्ड बरंग SANDISK 4 GB मेमोरी कार्ड कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मूल पेनड्राईव को मार्क PD एवं मूल मेमोरी कार्ड को मार्क M अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 09.00 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अषोक कुमार पाटीदार हैड कानि, परिवादी श्री भावेश पाटीदार सपरिवादी तथा श्री महेन्द्र पाटीदार के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्व श्री प्रकाशचन्द्र पटेल, कानिस्टेबल न. 326 पुलिस थाना दौवडा जिला डूंगरपुर व अन्य में ट्रेप कार्यवाही के दौरान् एक अल्टो कार न. GJ 09 BB 3605 के डेशबोर्ड में पडे कागज की धुलाई एवं हाथ धुलाई के श्री बाबुलाल कानि. के द्वारा कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung कम्पनी के Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल मे लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा विडियोग्राफी की कॉपी कर एक पेनड्राईव SANDISK Cruzer Blade 08GB तैयार की गयी। जिस पर आईओं पेनड्राईव लिखा जाकर पेनड्राईव को अनशील्ड रखा गया। एवं मूल मेमोरी कार्ड को मोबाईल से पृथक कर मूल मेमोरी कार्ड SanDisk Micro SDHC 8GB मेमोरी कार्ड को कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मार्क M-1 अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 09.15 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही में जब्तशुदा धोवन की सिल्ड शिशियां, सिल्डशुदा पेनड्राईव, मेमोरी कार्ड, जब्त शुदा मोबाईल व आर्टीकल्स को मालखाना प्रभारी श्री वीर विक्रम सिंह को सुरक्षित रखने की हिदायत देकर सुपुर्द किये गये। समय करीब 09.30 पी.एम पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री भावेश पाटीदार तथा सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार को आवश्यक हिदायत देकर दिनांक 30.01.2026 को समय करीब 3.00 पी.एम पर पूनः ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने के निर्देश देकर रूकसत किया गया। समय करीब 10.30 पी.एम पर गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. को कार्यालय में श्री जितेन्द्र कुमार कानि व श्री बाबु लाल कानि. की निगरानी मे रख कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक, श्री वीर विक्रम सिंह कानि व गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. को हमरा लेकर रिश्वत राशि बरामदगी के

प्रयास हेतु ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से दोवडा की तरफ सरकारी वाहन से रवाना हुआ। तत्पश्चात समय करीब 11.30 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक, श्री वीर विक्रम सिंह कानि व गिरप्तारषुदा आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. को हमरा लेकर रिश्वत राशि बरामदगी के प्रयास हेतु ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से बस स्टेण्ड दोवडा पर पंहुच रिश्वत राशि बरामदगी के प्रयास किये गये। रिश्वत राशि बरामद नही होने पर रवाना हो ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पंहुच मुकिम हुआ। दिनांक 30.01.2026 समय करीब 10.30 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता श्री अख्तर खां हैड कानि. व श्री जितेन्द्र कुमार कानि. तथा आरोपीगण श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि, को सरकारी वाहन से पीसी रिमाण्ड प्राप्त करने हेतु माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर क्रमांक 01 के समक्ष पेश करने हेतु मय डायरी के रवाना हुये। समय करीब 02.30 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता श्री अख्तर खांहैड कानि. व श्री जितेन्द्र कुमार कानि. तथा आरोपीगण श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि, को सरकारी वाहन से रवाना हो उदयपुर पहुंच माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश महोदय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर क्रमांक 01 के समक्ष पेश किया जाकर 1 दिन का पीसी रिमाण्ड प्राप्त कर हमराहियान के रवाना हो ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पहुंच मुकीम हुआ । तत्पश्चात समय 02.30 पी.एम पर जैर निगरानी हिरासत मुल्जिम श्री प्रकाशचन्द्र पटेल पुत्र कोदर लाल पटेल जाति पटेल निवासी हथोड पुलिस थाना बिछीवाडा हाल कानि. नं0 326 पुलिस थाना दोवडा ने मन् ट्रेपकर्ता अधिकारी को ईशारा कर पास बुलाया व स्वैच्छापूर्वक इत्तला दी की दिनांक 28.01.2026 को मैंने जो महेन्द्र पाटीदार से रिश्वत राशि 1,50,000 रूपये लिये थे, वो मैंने दोवडा हवाई पट्टी की दीवार के पास छुपा दिये थे जो मैं साथ चलकर बता सकता हूँ। जिस पर फर्द सूचना 23 (2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की मुर्तिब कर आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 03.30 पी.एम पूर्व पाबन्दशुदा दोनो स्वतन्त्र गवाहान ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये जिन्हे कार्यालय कक्ष मे बैठाया गया। समय करीब 03.45 पी.एम तक पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री भावेश पाटीदार तथा सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार दोनो ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित नही होने पर सपरिवादी को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कॉल कर कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु कहा तो सपरिवादी ने बताया की हम शादी मे आये हुये है। जिस पर सपरिवादी को पाबन्द किया की आप स्वयं व परिवादी श्री भावेश पाटीदार को लेकर डाबेला बस स्टेण्ड पर पंहुचे। समय करीब 03.50 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को बुलाकर मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज में से सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी (Galaxy XCover7ekWMy-SM-G556B), चार्जींग केबल, पॉवर बैंक व दो रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड निकलवाकर उक्त समस्त उपकरणों की जांच की गई तो उक्त समस्त उपकरण सही ढंग से संचालित होना पाये गये तथा सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी में एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) डलवाकर उक्त सरकारी मोबाईल फोन को श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को सुपुर्द कर रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान वीडियोग्राफी कर वीडियों को उक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करने हेतु निर्देशीत किया गया। समय करीब 04.00 पी.एम पर आरोपी श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. को कार्यालय में श्री अख्तर खां हैड कानि. व श्री जितेन्द्र कुमार कानि की निगरानी मे रख कर मन् पुलिस उप अधीक्षक,दोनो स्वतन्त्र गवाहानश्री नौशाद खां, श्री बंषीलाल, श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक, श्री धिरेन्द्र सिंह कानि, श्री वीर विक्रम सिंह कानि व श्री बाबु लाल कानि.,गिरफ्ता शुदा आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि.मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बाॅक्स व आवश्यक संसाधनों के सरकारी वाहन से आरोपी श्री प्रकाषचन्द्र पटेल कानि. द्वारा दी गई स्वैच्छापूर्वक इत्तला के अनुसार ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से हवाई पट्टी दोवडा के लिए रवाना हुये। समय करीब 04.45 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के सरकारी वाहन से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से रवानाशुदा समय 04.37 पी.एम पर बस स्टेण्ड डाबेला पंहुचे जहा परिवादी श्री भावेश पाटीदार व श्री महेन्द्र पाटीदार निजी कार से उपस्थित आये जहा से रवाना हो दोवडा हवाई पट्टी के लिए रवाना हो हवाई पट्टी मेन गेट के पास पंहुचकर सरकारी वाहन से निचे उतरे जहां आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. से रिश्वत राशि के बारे मे पूछने पर आरोपी श्री प्रकाश चन्द्र पटेल आगे-आगे चल कर भाटडा रोड पर हवाई पट्टी की बाउण्ड्री की दिवार के पास झाडीयो मे एक पत्थर को ऊॅचा किया जिसके निचे पोलिथीन की थैली मे 500-500 रूपये के नोट दिखे जिस पर स्वतन्त्र गवाह श्री नौशाद खां से उक्त पोलिथीन की थैली को झाडियो से बाहर निकलवा कर थैली मे रखे 500-500 रूपये के नोटो को दोनो स्वतंत्र गवाहानो से गिनवाये गये तो भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 300 नोट राशि 1,50,000 रूपये होना बताया। उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिबशुदा फर्द पेशकशी नोट से किया गया तो नोटो के नम्बर समान पाये गये। उक्त रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 300 नोट राशि 1,50,000 रूपये के नोटों को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट करा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात रिश्वत राशि जिस पोलिथिन की थैली मे मिली उक्त थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उक्त पोलिथिन को समेटकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क S अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो ली गई। फर्द बरामदगी ब्यूरो कार्यालय के लैपटॉप पर समय करीब 05.10 पी.एम. पर समाप्त की गई। उक्त कार्यवाही के दौरान धारा 105, बी.एन.एस.एस. 2023 की पालना करते हुए उक्त रिश्वत राशि बरामदगी की वीडियोग्राफी मन् पुलिस उप अधीक्षक

के निर्देशानुसार श्री बाबुलाल कानि0 नम्बर 393 द्वारा सरकारी मोबाईल फोन (सेमसंग कम्पनी) के माध्यम से ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमे◌ारी कार्ड में रिकॉर्ड की गई तथा उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कि गई। मौके पर लाईट की सुविधा नही होने से उक्त कार्यवाही का रनिग नोट व फर्द की प्रिन्ट ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पंहुच निकाल कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात फर्द नक्क्षा मौका रिश्वत राशि बरामदगी स्थल मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा शामिल कार्यवाही की गई। समय करीब 05.12 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने स्वतन्त्र गवाहान व उपस्थितो के समक्ष आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. से रिष्वत राषि 1,50,000 रूपये किसके लिये ली थी के बारे मे पूछने पर आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. ने बताया की उक्त रिश्वत राशि 1,50,000 रूपये मेरे व श्री अशोक जी हैड साहब के लिये हमने ली थी। समय करीब 05.20 पी.एम पर परिवादी व सपरिवादी को अपनी निजी कार से रवाना कर उनके पिछे-पिछे मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियानों, स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता, आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. सिलचिटशुदा रिश्वत राशि , आर्टिकल, ट्रैप बॉक्स एवं आवश्यक संसाधन के सरकारी वाहन से हवाई पट्टी दोवडा से ब्यूरो चैकी डूंगरपुर के लिए रवाना हुये। समय करीब 06.00 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियानों, स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता, आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. सिलचिटशुदा रिश्वत राशि , आर्टिकल, ट्रैप बॉक्स एवं आवश्यक संसाधन के सरकारी वाहन से हवाई पट्टी दोवडा से ब्यूरो चोकी डूंगरपुर के लिए रवाना शुदा ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पंहुचे। समय करीब 06.05 पी.एम पर परिवादी श्री भावेश पाटीदार व सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार अपनी कार से ब्युरो कार्यालय उपस्थित आये। समय करीब 06.15 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहानएवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि, परिवादी श्री भावेश पाटीदार सपरिवादी तथा श्री महेन्द्र पाटीदारके समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्व श्री प्रकाशचन्द्र पटेल, कानिस्टेबल न. 326 पुलिस थाना दौवडा जिला डूंगरपुर व अन्य में कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना दोवडा के अन्दर अनुसंधान कक्ष मे आरोपी श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि0 नं0 455 के एक लोहे का बॅक्सा जिसमे ताला लगा हुआ मिला। जिस पर आरोपी श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि0 नं0 455 को उक्त ताले की चाबी के बारे मे पुछने पर उसने टेबल की दराज से चाबी निकाल कर दी । जिस पर आरोपी श्री प्रकाश चन्द्र कानि0 नं0 326 से उक्त चाबी से लोहे के बॅक्से पर लगे हुये ताले का लॉक खुलवाया गया। उक्त लोहे के बॅक्से की तलाशी के दौरान मोबाईल फोन VIVO कम्पनी मॉडल नम्बर Y28s5G बंरग परपल मिला। उक्त मोबाईल मे दो सीम लगी हुई जो एयरटेल कम्पनी की हो एक सीम के नम्बर एवं दूसरी सीम के नम्बर है। उक्त मोबाईल फोन परिवादी भावेश पाटीदार ने अपना स्वंय का होना बताया। उक्त मोबाईल फोन को उक्त कार्यवाही में वजह सबूत मय सीम के जप्त कर कपडे की थैली में सीलचिट किया जाकर मार्क V-1दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 06.45 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहानएवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि, परिवादी श्री भावेश पाटीदार सपरिवादी तथा श्री महेन्द्र पाटीदारके समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्व श्री प्रकाशचन्द्र पटेल, कानिस्टेबल न. 326 पुलिस थाना दौवडा जिला डूंगरपुर व अन्य में आरोपी श्री अशोक कुमार पाटीदार, हैड कानि. का एक मोबाईल OPPO कम्पनी मॉडल A5 Pro 5G मय दो सीम एयरटेल कम्पनी कीनम्बर एवं जीओ नम्बर की लगी हूई हो प्रकरण में अहम साक्ष्य होने से उक्त मोबाईल को वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा मार्क व्दिया गया। चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये । उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 06.45 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि, परिवादी श्री भावेश पाटीदार सपरिवादी तथा श्री महेन्द्र पाटीदार के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्व श्री प्रकाश चन्द्र पटेल, कानिस्टेबल न. 326 पुलिस थाना दौवडा जिला डूंगरपुर व अन्य में आरोपी श्री अशोक कुमार पाटीदार, हैड कानि. का एक मोबाईल OPPO कम्पनी मॉडल A5 Pro 5G मय दो सीम एयरटेल कम्पनी कीनम्बर एवं जीओ नम्बर की लगी हूई हो प्रकरण में अहम साक्ष्य होने से उक्त मोबाईल को वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा मार्क O दिया गया। चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये।उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 07.35 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि, परिवादी श्री भावेश पाटीदार सपरिवादी तथा श्री महेन्द्र पाटीदारके समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्व श्री प्रकाशचन्द्र पटेल, कानिस्टेबल न. 326 पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर व अन्य में हवाई पट्टी दोवडा की बाउण्ड्री के पास झाडीयों में एक पत्थर के नीचे पोलीथीन की थेली में रखी हुई रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 300 नोट कुल 1,50,000/- रूपये बरामदगी के दौरान कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung कम्पनी के Xcover7 से श्री बाबुलाल कानि. से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल मे लगे मूल मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा विडियोग्राफी की कॉपी कर दो पेनड्राईव SANDISK Cruzer Blade 08GB तैयार की गयी। जिसमें से एक पर आईओं पेनड्राईव व दुसरे पर आरोपी पेनड्राईव लिखा जाकर पेनड्राईव को अनशील्ड रखा गयाएवं मूल मेमोरी कार्ड को मोबाईल से पृथक कर मूल मेमोरी कार्ड SanDisk Micro SDHC 8GB

मेमोरी कार्ड को कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मार्क M-4 अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। समय करीब 08.15 पी. एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि, परिवादी श्री भावेश पाटीदार सपरिवादी तथा श्री महेन्द्र पाटीदार के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्व श्री प्रकाशचन्द्र पटेल, कानिस्टेबल न. 326 पुलिस थाना दौवडा जिला डूंगरपुर व अन्य में आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल, कानि. का एक मोबाईल VIVO कम्पनी मॉडल V30 मय एक सीम एयरटेल कम्पनी की नम्बर की लगी हूई प्रकरण में अहम साक्ष्य होने से उक्त मोबाईल को वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा मार्क V दिया गया। चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये । उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 08.30 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही में जब्तशुदा धोवन की सिल्ड शिशियां, सिल्डशुदा पेनड्राईव, मेमोरी कार्ड, जब्त शुदा मोबाईल रिश्वत राशि व आर्टीकल्स को मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर सुरक्षित रखने की हिदायत मालखाना प्रभारी श्री वीर विक्रम सिंह को दी गई। समय करीब 09.30 पी.एम पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री भावेश पाटीदार तथा सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार को आवश्यक हिदायत देकर रूकसत किया गया। इस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से यह पाया गया हैं कि दिनांक 28.01.2026 को परिवादी श्री भावेष पाटीदार पुत्र श्री हुका पाटीदार उम्र 23 वर्ष निवासी ओडा फला गजियाणा तहसील आसपुर पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर व सहपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार पुत्र श्री हुका पाटीदार उम्र 31 वर्ष निवासी ओडा फला गजियाणा तहसील आसपुर पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हुये व परिवादी श्री भावेष पाटीदार ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आषय कि पेष की "निवेदन है कि मै प्रार्थी भावेष पाटीदार पुत्र श्री हुका पाटीदार उम्र 23 वर्ष निवासी ओडा फला गलियाणा तहसील आसपुर पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर का रहने वाला हुं। मै दिनांक 18.01.2026 रविवार को दिन मे करीब 02.30 बजे इण्डियन पेट्रोल पम्प के पास नयागांव मे खडा था। इतने मे पुलिस की एक गाडी आकर मेरे पास रूकी और उसमे बैठे हुये पुलिसवाले ने मुझसे पूछा की निलेष पिता केवजी पाटीदार निवासी नयागांव का घर किधर है तो मैंने कहा ॅ की मुझे निलेष के घर का पता नही है। फिर मुझे पुलिसवाले ने मेरा नाम पूछा तो मेने मेरा नाम भावेष पाटीदार होना बताया जिस पर पुलिसवाले ने मुझ से कहा की तेरा मोबाईल मुझे दे जिस पर मेने मेरा मोबाईल पुलिसवाले को दिया उसने मेरा मोबाईल खोलकर देखा और मुझे कहा की तुभी लोकेन्टो खेलकर लोगो के साथ ठगी करता है। तेरे मोबाईल मे बहुत सारे लेन-देन हो रखे है। यह कहते हुये मुझे पुलिसवाले ने पुलिस की गाडी मे बैठाकर वहा से पुलिस थाना दोवडा की तरफ रवाना हुये। रास्ते मे पुलिसवाले ने मुझे बताया की मेरा नाम प्रकाष पाटीदार है। मेरी डयूटी पुलिस थाना दोवडा मे है। दोवडा थाने मे सीआई साहब भी पाटीदार है, मै सीआई साहब से बात करके तेरे खिलाफ मुकदमा नही होने दुंगा व तेरा मोबाईल भी तुझे वापस दे दुंगा। तुम आॅनलाईन गेम खेलकर लोगो के साथ ठगी कर रहे हो पुलिस थाने मे मुकदमा दर्ज हो गया तो जिन्दगी खराब हो जायेगी। महीनो तक जमानत नही होगी मै तुझे अभी यही पर उतार देता हुं और मेरे मोबाईल नम्बर लिखकर देता हुं। तुम अपने किसी समझदार परिवारवाले से बात करवाना नही तो तुम दो लाख रूपये लेकर चुपचाप पुलिस थाना दोवडा आकर मुझसे मिल कर दो लाख रूपये मुझे दे देना मै सीआई साहब से बात कर के तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज नही होने देंगे ें और तेरा मोबाईल वापस दे देगं ें। उसके बाद पुलिस की गाडी रोक कर मुझे वागदरी उतार कर चले गये। जिस पर मैने यह बात मेरे बडे भाई महेन्द्र जी पाटीदार को बताई। दिनांक 20.01.2026 व 24.01.2026 को मेरे भाई महेन्द्र जी ने प्रकाष जी पाटीदार कानिस्टेबल पुलिस थाना दोवडा से जरिये मोबाईल पर वार्ता की जिस पर प्रकाष जी कानिस्टेबल ने कहा मोबाईल पर बात नही होती पुलिस थाना दोवडा आकर मिलो। इस प्रकार श्री प्रकाष जी पाटीदार मुझ से दो लाख रूपये की रिष्वत राषि की मांग कर रहे है। मै श्री प्रकाष जी पाटीदार कानिस्टेबल को रिष्वत राषि नही देना चाहता हुं रिष्वत लेते हुऐ रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं। मेरी श्री प्रकाष जी पाटीदार कानिस्टेबल से पुरानी कोई लेन-देन बाकी नही है, न ही कोई पुरानी दुष्मनी है, रिपोर्ट पर उचित कार्यवाही करावे।" परिवादी की रिपोर्ट एवं जरिये दरियाफ्त मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने पर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन कराया गया। दौराने मांग सत्यापन आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. 326 व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. 455 द्वारा परिवादी श्री भावेश पाटीदार से 1,50,000 रूपये रिश्वत् मांगने की पुष्टि हुई जिस पर दिनांक 28.01.2026 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया तो आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. द्वारा अपनी अल्टो कार मे सपरिवादी महेन्द्र पाटीदार को बैठाकर फलोज जाने वाले रोड पर बने श्मशान के पास ले जाकर उक्त आरोपीयों द्वारा सपरिवादी से 1,50,000 रूपये रिश्वत् राशि को उक्त अल्टो कार के अन्दर आगे डेशबोर्ड के अन्दर दराज मे रखवाई गई व सपरिवादी को वापस थाने के बाहर छोडकर भाग गये। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता द्वारा पिछा किया गया। लेकिन रात हो अंधेरा होने से आरोपीगण ओझल हो गये। जिनको काफी मशक्कत कर पकडा व प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. को गिरफ्तार किया गया। जिनसे रिश्वत राशि बरामद नही हुई। जिस पर रिश्वत राशि बरामद करना आवश्यक होने से दिनांक 30.01.2026 को आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. 326 व श्री अशोक कुमार पाटीदार कानि. 455 को पी.सी. रिमाण्ड हेतु माननीय विशिष्ट

न्यायाधीश महोदय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट संख्या-01 उदयपुर के समक्ष पेश किया गया। जिस पर माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा 01 दिन का पी.सी. रिमाण्ड स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. की फर्द सूचना मुताबिक रिश्वत राशि 1,50,000 रूपये बरामद की गई, जो जुर्म अन्तर्गत धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) 61(2), 238 बीएनएस 2023 के तहत दण्डनीय अपराध हैं। आरोपीगणों द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 28.01.2026 के दौरान बार-बार रिश्वत राशि सीआई साहब थानाधिकारी पुलिस थाना दोवडा के लिये रिश्वत राशि की मांग कर रहे थे। टेªप कार्यवाही के दौरान श्री परमेश्वर पाटीदार पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना दोवडा को मौके पर उपस्थित होने हेतु पुलिस थाना दोवडा के मौजुद स्टाफ को कहाँ था, लेकिन थानाधिकारी उपस्थित नही हुआ । तत्पश्चात् इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 171 दिनांक 29.01.2026 द्वारा तलब किया गया लेकिन थानाधिकारी उपस्थित नही हुआ । इस प्रकार श्री परमेश्वर पाटीदार पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना दोवडा की भुमिका भी संदिग्ध प्रतीत होती है। जो अनुसंधान से स्थिति स्पष्ट होगी । अतः आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पिता कोदर लाल पटेल, जाति पटेल उम्र 26 वर्ष निवासी हथौड पोस्ट करौली तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर हाल कानि0 नं0 326 पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर एवं श्री अशोक कुमार पाटीदार पुत्र श्री चन्द्रेश्वर पाटीदार जाति पाटीदार उम्र 39 वर्ष निवासी वजाखरा पुलिस थाना गढी जिला बांसवाडा हाल हैड कानि0 नं0 455 पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट जुर्म अन्तर्गत धारा-7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2), 238 बी.एन.एस. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित हैं।

भवदीय, (रतनसिंह राजपुरोहित) पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर महोदयजी,

वाक्यात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 28.01.2026 को समय 10.00 ए.एम पर परिवादी श्री भावेश पाटीदार पुत्र श्री हुका पाटीदार उम्र 23 वर्ष निवासी ओडा फला गजियाणा तहसील आसपुर पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर व सहपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार पुत्र श्री हुका पाटीदार उम्र 31 वर्ष निवासी ओडा फला गजियाणा तहसील आसपुर पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय हुये परिवादी श्री भावेश पाटीदार ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय कि पेश की ''निवेदन है कि मै प्रार्थी भावेश पाटीदार पुत्र श्री हुका पाटीदार उम्र 23 वर्ष निवासी ओडा फला गलियाणा तहसील आसपुर पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर का रहने वाला हुं। मै दिनांक 18.01.2026 रविवार को दिन मे करीब 02.30 बजे इण्डियन पेट्रोल पम्प के पास नयागांव मे खडा था। इतने मे पुलिस की एक गाडी आकर मेरे पास रूकी और उसमे बैठे हुये पुलिसवाले ने मुझसे पूछा की निलेश पिता केवजी पाटीदार निवासी नयागांव का घर किधर है तो मैंने कहाँ की मुझे निलेश के घर का पता नही है। फिर मुझे पुलिसवाले ने मेरा नाम पूछा तो मेने मेरा नाम भावेश पाटीदार होना बताया जिस पर पुलिसवाले ने मुझ से कहा की तेरा मोबाईल मुझे दे जिस पर मेने मेरा मोबाईल पुलिसवाले को दिया उसने मेरा मोबाईल खोलकर देखा और मुझे कहा की तुभी लोकेन्टो खेलकर लोगो के साथ ठगी करता है। तेरे मोबाईल मे बहुत सारे लेन-देन हो रखे है। यह कहते हुये मुझे पुलिसवाले ने पुलिस की गाडी मे बैठाकर वहा से पुलिस थाना दोवडा की तरफ रवाना हुये। रास्ते मे पुलिसवाले ने मुझे बताया की मेरा नाम प्रकाश पाटीदार है। मेरी डयूटी पुलिस थाना दोवडा मे है। दोवडा थाने मे सीआई साहब भी पाटीदार है, मै सीआई साहब से बात करके तेरे खिलाफ मुकदमा नही होने दुंगा व तेरा मोबाईल भी तुझे वापस दे दुंगा। तुम ऑन लाईन गेम खेलकर लोगो के साथ ठगी कर रहे हो पुलिस थाने मे मुकदमा दर्ज हो गया तो जिन्दगी खराब हो जायेगी। महीनो तक जमानत नही होगी मै तुझे अभी यही पर उतार देता हुं और मेरे मोबाईल नम्बर लिखकर देता हुं। तुम अपने किसी समझदार परिवारवाले से बात करवाना नही तो तुम दो लाख रूपये लेकर चुपचाप पुलिस थाना दोवडा आकर मुझसे मिल कर दो लाख रूपये मुझे दे देना मै सीआई साहब से बात कर के तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज नही होने देंगे और तेरा मोबाईल वापस दे देंगे । उसके बाद पुलिस की गाडी रोक कर मुझे वागदरी उतार कर चले गये। जिस पर मैने यह बात मेरे बडे भाई महेन्द्र जी पाटीदार को बताई। दिनांक 20.01.2026 व 24.01.2026 को मेरे भाई महेन्द्र जी ने प्रकाश जी पाटीदार कानिस्टेबल पुलिस थाना दोवडा से जरिये मोबाईल पर वार्ता की जिस पर प्रकाश जी कानिस्टेबल ने कहा मोबाईल पर बात नही होती पुलिस थाना दोवडा आकर मिलो। इस प्रकार श्री प्रकाश जी पाटीदार मुझ से दो लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहे है। मै श्री प्रकाश जी पाटीदार कानिस्टेबल को रिश्वत राशि नही देना चाहता हुं रिश्वत लेते हुऐ रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं। मेरी श्री प्रकाश जी पाटीदार कानिस्टेबल से पुरानी कोई लेन-देन बाकी नही है, न ही कोई पुरानी दुश्मनी है, रिपोर्ट पर उचित कार्यवाही करावे।''मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी श्री भावेश पाटीदार द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को शब्द ब शब्द पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी व सहपरिवादी द्वारा सही होना एवं प्रार्थना पत्र पर परिवादी श्री भावेष पाटीदार स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं स्वय के हस्ताक्षरित होना स्वीकार किया। परिवादी द्वारा अपनी पहचान के सम्बन्ध में स्वंय का आधार कार्ड पेश किया जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। उक्त लिखित रिपोर्ट का अवलोकन करने से मामला रिश्वत राशि लेन देन का पाया गया। जिस पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की तो परिवादी ने बताया कि मैं मेरे बडे भाई महेन्द्र पाटीदार के साथ उपस्थित हुआ हु। मेरी तरफ से प्रकाशजी से मिलने मेरे भाई महेन्द्र मेरे साथ आयेगे और बात भी करेगे। मेरा वीवो कम्पनी का Y20S है । जिसमे एयरटेल कम्पनी की दो सीमे नं0 एवं लगी हुई है। जिसको प्रकाश पाटीदार पुलिस थाना दोवडा ने

अपने पास रख लिया है अभी तक उसके पास ही है। जिस पर कार्यालय के कानि0 श्री महेशचन्द्र नं0 394 को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री भावेश पाटीदार व सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार तथा कानि0 श्री महेशचन्द्र नं0 394 का आपस में परिचय कराया गया व परिवादी व कानि0 के मोबाईल नम्बर परस्पर साझा कराये गये। परिवादी श्री भावेश पाटीदार ने बताया की आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानिस्टेबल मुझसे रिश्वत राशि की बात नही करेगा वो मेरे भाई श्री महेन्द्र पाटीदार से ही बात करेगा। अग्रिम रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही के क्रम में मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखी डिजिटल वोईस रिकॉर्डर व एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड SANDISK 4GB निकाल कर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में मेमोरी कार्ड लगाया जाकर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर को चालू कर अवलोकन किया गया तो डिजिटल वोईस रिकॉर्डर व उसमें लगाया गया मेमोरी कार्ड खाली (रिक्त) होना पाया गया। परिवादी व सपरिवादी को डिजिटल वोईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की समझाईश कर संदिग्ध श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. पुलिस थाना दोवडा से अग्रिम रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय् उसमें लगाये गये मेमोरी कार्ड के सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार को सुपुर्द कर श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. से वार्ता हेतु आवश्यक हिदायत देकर कानि. श्री महेशचन्द्र नं0 394 व परिवादी तथा सपरिवादी मय डिजिटल वोईस रिकॉर्डर के परिवादी की कार से समय करीब 11.20 ए.एम पर पुलिस थाना दोवडा की तरफ रवाना किया गया। तत्पश्चात समय करीब 01.30 पी.एम पर श्री महेशचन्द्र कानि. न. 394 मय डिजिटल वोईस रिकॉर्डर के ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया व श्री महेशचन्द्र कानि. ने डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि ''मै श्रीमान के निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से रवाना हो समय 11.41 ए.एम पर पुलिस थाना दोवडा के पास पहूच समय करीब 11.42 ए.एम पर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार को सुपुर्द कर संद्विग्ध श्री प्रकाशचन्द्र पटेल से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु परिवादी व सहपरिवादी को पुलिस थाना दोवडा के लिए रवाना किया तथा मै आस-पास अपनी गोपनीयता छिपाते हुए मुकिम रहा। तत्पश्चात समय करीब 12.40 पी.एम पर परिवादी व सपरिवादी मेरे पास आकर सपरिवादी ने मुझे डिजीटल वोईस रिकॉर्डर पेश किया जिसे मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। सपरिवादी ने मुझे बताया कि रिश्वत राशि मांग का सत्यापन हो चुका है। जिस पर मन् कानि. डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के रवाना हो ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार व संद्विग्ध श्री प्रकाश चन्द्र पटेल कानि. तथा श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुना गया तो परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट में बताये गए कथनो की ताईद होकर संद्विग्ध श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. तथा श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि द्वारा परिवादी व सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार से रिश्वत राशि 1,50,000/-रूपये की मांग करने की पुष्टि हुई। डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को यथास्थिति सुरक्षित मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखा। समय करीब 02.07 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार को मोबाईल पर कॉल किया व सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार को मय रिश्वत राशि 1,50,000/- रूपये के ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित होने व गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात समय करीब 03.15 पी.एम पर परिवादी श्री भावेश पाटीदार व सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार उपस्थित कार्यालय आया व सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मैं श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि को देने के लिये रिश्वत राशि के रूप में 1,50,000/- रूपये की व्यवस्था करके साथ लेकर आया हूँ । परिवादी व सपरिवादी को कार्यालय मे बैठाया गया। समय करीब 03.20 पी.एम पर श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद डूंगरपुर को एक राजपत्रित अधिकारी व एक अराजपत्रित कर्मचारी को पाबन्द कर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर भिजवाने बाबत् कार्यालय के पत्र क्रमांक 170 दिनांक 28.01.2026 से तेहरीर जारी कर श्री जितेन्द्र कुमार कानि. न.390 को जिला परिषद डूंगरपुर हेतु रवाना किया गया। समय 04.15 पी.एम पर कानि. श्री जितेन्द्र कुमार व दो स्वतंत्र गवाह उपस्थित कार्यालय आये। कानि. श्री जितेन्द्र कुमार ने कार्यालय जिला परिषद (पंचायती राज प्रकोष्ठ) डूंगरपुर का पत्र क्रमांक जिपडूं/संस्थापन/2025-26/90 दिनांक 28.01.2026 लाकर पेश किया जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात दोनो स्वतन्त्र गवाहान को मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनसे उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री नौषाद खां पुत्र श्री निसार खां जाति मुसलमान उम्र 59 वर्ष निवासी सराडा सीएचसी के पास सराडा तहसील सराडा जिला सलुम्बर हाल प्रशासनिक अधिकारी जिला परिषद डूंगरपुर मो.न. व श्री बंशीलाल परमार पुत्र श्री अलकेश्वर परमार जाति परमार (मीणा) उम्र 50 वर्ष निवासी डाबेला पोस्ट दोवडा तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर हाल वरिष्ठ सहायक जिला परिषद (प.प्र.) डूंगरपुर मो.न. होना बताया। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली ट्रैप कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने हेतु मौखिक सहमति चाही गई जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान द्वारा अपनी-अपनी मौखिक सहमति दी गई। जिस पर कार्यालय कक्ष में बैठे परिवादी श्री भावेश पाटीदार व सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार को मन् पुलिस उप अधीक्षक के कक्ष मे बुलाकर परिवादी व सपरिवादी तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 28.01.2026 को परिवादी श्री भावेश पाटीदार द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना

पत्र को परिवादी, सपरिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने शब्द ब शब्द की पुष्टि कर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर को चालू कर दिनांक 28.01.2026 को सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार एवं संदिग्ध श्री प्रकाश चन्द्र पटेल कानि. तथा श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाये गये तो दोनो स्वतंत्र गवाहान के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की पुष्टि की गई। समय 04.46 पी.एम पर सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार ने बताया की श्री प्रकाश पटेल कानिस्टेबल के मोबाईल नम्बर से मेरे मोबाईल नम्बर पर कॉल आ रहा है। जिस पर सपरिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन करा सपरिवादी की संदिग्ध श्री प्रकाश पटेल कानिस्टेबल से वार्ता करवाई गई तो कानिस्टेबल प्रकाश पटेल रिश्वत राशि लेकर थाने पर बुला रहा है। उक्त वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात समय करीब 05.00 पी.एम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर सपरिवादी ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 300 नोट कुल राशि 1,50,000/-रूपये प्रस्तुत किये। सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार की जामा तलाशी गवाह श्री नौशाद खां से लिवाई गई। जिसमें सपरिवादी के पास एक मोबाईल फोन के अलावा कुछ नही मिला जिसे सपरिवादी को सुपुर्द किया गया। सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटों पर श्री जितेन्द्र कानि. नं. 390 से मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल कि दराज में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशीयो को निकलवाया जाकर कार्यालय मे टेबल पर अखबार बिछाकर उपरोक्त नोटों के दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। संदिग्ध श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. तथा श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. को देने के लिए सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार द्वारा पेश किये गये नोटों को श्री जितेन्द्र कानि. से ही सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार की पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में कोई शेष नही छोड़ते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री अख्तर खा हैड कानि. न. 05 से एक प्लास्टिक के डिस्पोजल के साफ गिलास में साफ पानी मंगवाया जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी तथा सपरिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में श्री जितेन्द्र कानि. की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी, सपरिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए मन् पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि यदि आरोपीगण द्वारा सपरिवादी से रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलवाया जाएगा तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपीगण ने रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री जितेन्द्र कानि. से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री जितेन्द्र कानि. से ही मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल कि दराज में सुरक्षित रखवाई गई तथा सपरिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह संदिग्धगण के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। सपरिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा रिश्वत राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। श्री अख्तर खां हैड कानि. से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशिया, प्लास्टिक के डिस्पोजल, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। कार्यालय में उपस्थित स्टाफ के सदस्यों व दोनो गवाहान तथा परिवादी सपरिवादी का आपस में परिचय करवाया गया तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथा संभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए सपरिवादी व संदिग्धगण के मध्य रिश्वत राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार को हिदायत दी गई कि रिश्वत् राशि के लेन-देन के वक्त संदिग्धगण से होने वाली वार्तालाप को डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड करें। परिवादी, सपरिवादी स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री जितेन्द्र कानि. को ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। समय 05.46 पी.एम पर सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार ने बताया की श्री प्रकाश पटेल कानिस्टेबल के मोबाईल नम्बर से मेरे मोबाईल नम्बर पर कॉल आ रहा है। जिस पर सपरिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन करा सपरिवादी की संदिग्ध श्री प्रकाश पटेल कानिस्टेबल से वार्ता करवाई गई तथा उक्त वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। समय के अभाव में फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट अकब से मुर्तिब की गई। तत्पश्चात सपरिवादी को डिजीटल वोईस रिकॉर्डर चालु व बंद करने की विधि को पुनः समझाकर

डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को सपरिवादी को सुपूर्द कर संदिग्धगण श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. तथा श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. से रिश्वत राशि लेनदेन वार्तालाप को उक्त डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की आवश्यक हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात समय करीब 06.00 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को बुलाकर मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज में से सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी (Galaxy XCover7 ekWMy-SM-G556B), चार्जींग केबल, पॉवर बैंक व दो रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड निकलवाकर उक्त समस्त उपकरणों की जांच की गई तो उक्त समस्त उपकरण सही ढंग से संचालित होना पाये गये तथा सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी में एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) डलवाकर उक्त सरकारी मोबाईल फोन को श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को सुपुर्द कर रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान वीडियोग्राफी कर वीडियों को उक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करने तथा बरामदगी की वीडियोग्राफी के पश्चात उक्त मूल मेमोरी कार्ड मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द करने हेतु निर्देशित किया गया तथा इसके अतिरिक्त संदिग्ध के आवास की खाना तलाशी की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन के माध्यम से वीडियोग्राफी करने हेतु एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को सुपुर्द कर वीडियोग्राफी हेतु निर्देशित किया गया। समय करीब 06.10 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री महेशचन्द कानि. 394 व परिवादी श्री भावेश पाटीदार व सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार को उसकी कार से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय् मेमोरी कार्ड के पुलिस थाना दोवडा कीओर रवाना कर पिछे-पिछे श्री धिरेन्द्र सिंह कानि. न. 546 एवं श्री दीपक कानि. न. 87 को निजी मोटरसाईकिल से व श्री वीर विक्रम सिंह कानि न. 189, श्री बाबु लाल कानि. 393 को निजी मोटरसाईकिल से रवाना कर पिछे-पिछे मन् पुलिस उप अधीक्षक, स्वतन्त्र गवाहान श्री नौषाद खां , श्री बंशीलाल, श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक, श्री अख्तर खां हैड कानि. 05 मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधनों के प्राईवेट वाहन से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से पुलिस थाना दोवडा की तरफ रवाना हुए । समय करीब 06.40 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से रवानाशुदा पुलिस थाना दोवडा के आस-पास पंहुच अपने-अपने वाहनो को रोड के साईड में खडा किया। सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार व कानि. महेशचन्द्र तथा एक अन्य व्यक्ति सपरिवादी की कार से उतर कर मन् पुलिस उप अधीक्षक के पास आये जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा सपरिवादी से अन्य व्यक्ति के बारे मे पूछा तो सपरिवादी ने बताया की ये डायालाल पाटीदार हमारा रिश्तेदार है। यह भी हमारे साथ आयेगा। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डायालाल पाटीदार को अपने मोबाईल नम्बर दिये तथा हिदायत दी कि रिश्वत राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। तत्पश्चात सपरिवादी ने अपने पास से डिजिटल वोईस रिकॉर्डर को निकाल कर मन् पुलिस उप अधीक्षक को दिया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा सपरिवादी को डिजीटल वोईस रिकॉर्डर चालु व बंद करने की विधि को पुनः समझाकर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को सपरिवादी को सुपूर्द कर संदिग्धगण श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. तथा श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. से रिश्वत राशि लेन देन वार्तालाप को उक्त डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की आवश्यक हिदायत देकर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को शुरू कर सपरिवादी को सुपुर्द कर परिवादी, सपरिवादी व डायालाल पाटीदार को पुलिस थाना दोवडा के लिए रवाना किया व मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो मे अपनी-अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए सपरिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे के इन्तजार में पुलिस थाना दोवडा के आस-पास मुकिम हुये। समय करीब 07.34 पी.एम पर पर श्री डायालाल पाटीदार ने अपने मोबाईल नम्बर से मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल कर पूर्व निर्धारित ईशारा किया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक व हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो से रवाना हो परिवादी, सपरिवादी व श्री डायालाल पाटीदार के पास पहुंचे तो सपरिवादी रिश्वती राशि के लेनदेन के वक्त हुई वार्तालाप जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की, उस डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द किया। जिसे मेरे द्वारा बंद कर मेरे पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार ने बताया की समय 06.52 पी.एम पर श्री प्रकाष पटेल कानिस्टेबल के मोबाईल नम्बर से मेरे मोबाईल नम्बर पर कॉल आया था। जिसे मेरे द्वारा मेरे मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन कर मेरी व श्री प्रकाश पटेल कानिस्टेबल के बिच जो वार्ता हुई उक्त वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया था । तत्पश्चात सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार ने बताया की संदिग्धगण श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. तथा श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. एक अलटो कार लेकर आये तथा हमे अन्दर बैठा कर यहाँ फलोज वाले रोड पर स्थित श्मशान के पास ले जाकर हमसे रिश्वत राशि उसकी अल्टो कार के डेशबोर्ड पर बनी दराज मे रखवा दिये। मैंने भावेश के मोबाईल के बारे मे पुछा तो प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. ने बताया कि मोबाईल कल दूंगा। तत्पश्चात वहा से रवाना होकर थाने के पास पहुचे जहाँ पर हमको कहा की आप उतरो मैं गाडी साईड मे लगाता हुं। जिस पर हम निचे उतरे और श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. तथा श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. दोनो कार लेकर चले गये। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो मुख्यालय

जरिये मोबाईल वार्ता कर आरोपी के नम्बर की लोकेशन निकाल कर परिवादी, सपरिवादी तथा श्री डायालाल पाटीदार मय जाप्ता अपने-अपने वाहन से आरोपी की तलाश करते हुये पुनाली की तरफ रवाना हुये जहा रास्ते मे आरोपी की कार दुकान के बाहर खडी दिखी, कार मे कोई नही था कुछ देर ईन्तजार करने पर आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र अन्य कार से वहा आया जिसे ब्यूरो टीम द्वारा पकडा। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय पत्र दिखाते हुए स्वंय का तथा स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रैप पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा आरोपी से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम श्री प्रकाशचन्द्र पिता श्री कोदर लाल पटेल निवासी हथौड पोस्ट करौली तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर हाल कानिस्टेबल न. 326 पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर का होना बताया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपी से रिश्वत राशि के बारे मे पूछा तो आरोपी द्वारा रिश्वत राशि के बारे मे नही जानना बताया तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि के बारे मे पूछा गया तो उसने बताया की श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि दोवडा मे अपने किराये के मकान पर गये जिस पर आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र को यथास्थिति वाहन मे बैठाकर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के रवाना हो दोवडा बस स्टेण्ड के पास श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. के किराये के मकान पर पहुचे जहा हैड कानि. श्री अशोक कुमार पाटीदार मौजुद मिला। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय पत्र दिखाते हुए स्वंय का तथा स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रैप पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा आरोपी से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम श्री अशोक कुमार पाटीदार पिता चन्द्रेश्वर जाति पाटीदार उम्र 39 वर्ष निवासी वजाखरा पुलिस थाना गढी हाल हैड कानि. न. 455 पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर का होना बताया। जिसे यथास्थिति वाहन मे बैठाकर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के रवाना हो पुलिस थाना दोवडा पंहुचे जहा आरोपीगण से रिश्वत राशि बाबत पूछताछ की गई लेकिन आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि के बारे मे नही बताया। जिस पर सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार ने बताया इन्होने अपनी मांग के अनुसार 1,50,000/-रूपये मेरे से अपनी अल्टो कार के डेश बोर्ड के दराज मे रखवाये थे। तत्पश्चात आरोपीगण की तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री नौशाद खां से लिवाई गई तो आरोपीगण के पास एक-एक मोबाईल के अलावा कुछ नही मिला आरोपीगण के पहने हुए कपडो की भी बडी गहनता से तलाशी लिवाई गई तो उक्त राशि आरोपीगण के पास से बरामद नही हुई। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादीगण एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपीगण को तसल्ली देकर रिश्वत राशि 1,50,000/-रूपये के बारे में पूछा तो आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि के बारे में अनभिज्ञता जताने लगे। आरोपीगण से रिश्वत राशि बरामदगी के काफी प्रयास किये गए परन्तु आरोपीगण पूर्व कहे कथनों पर ही तटस्थ रहे। तत्पश्चात आरोपीगण द्वारा सपरिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने की स्पष्टता हेतु अग्रिम कार्यवाही के क्रम में एल्टो कार नम्बर GJ 09 BB 3605 के डेशबोर्ड के अन्दर रखे कागज का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से कानि. श्री वीर विक्रम सिंह से ट्रैप बॉक्स मे से एक साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में पुलिस थाना दोवडा से पीने के पानी की बोतल मे से पानी भरकर उक्त गिलास मे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी, सपरिवादी को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया। जिस पर ट्रैप बॉक्स से एक रूई को निकालकर पानी से भिगोकर अल्टो कार नम्बर GJ 09 BB 3605 के डेश बोर्ड मे रखे कागज को बाहर निकालकर कागज पर रूई से घुमाया जाकर घोल मे डूबाया जाकर उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी, सपरिवादी को दिखाया गया तो उक्त घोल का धोवन गुलाबी होना बताया। जिस पर उक्त घोल को दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर मार्क D1 मार्क D2अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशियों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये तत्पश्चात उक्त कागज को जब्त कर सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क D अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर ब्यूरों कब्जे लिया गया। तत्पश्चात आरोपी के दोनों हाथों का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से कानि. श्री वीर विक्रम सिंह से प्राईवेट वाहन में रखे हुए ट्रेप बॉक्स को मंगवा कर ट्रैप बॉक्स मे से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में पुलिस थाना दोवडा से पीने के पानी की बोतल मे से अलग-अलग पानी भरकर उक्त दोनों गिलासों में अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी, सपरिवादी को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया। जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन का मिश्रण मटमेला हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो मटमेला होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क PRH1 व PRH2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसी तरह दूसरे प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल मे आरोपी के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवण का रंग हल्का मटमेला हो गया। जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो हल्का मटमेला का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क PLH1 व PLH2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशिया कब्जे ब्यूरो ली गई। उसी प्रकार आरोपी श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. के के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन का मिश्रण

मटमेला हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो मटमेला होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क ARH1 व ARH2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शीशिया कब्जे ब्यूरो ली गई। इसी तरह दूसरे प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल मे आरोपी के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवण का रंग हल्का मटमेला हो गया। जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो हल्का मटमेला का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क ALH1 व ALH2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशीयां कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपीगण से तसल्ली देकर रिश्वत राशि के बारे मे बार-बार पूछा गया तो आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि के बारे मे कुछ नही जानना बताया। कार्यवाही मे प्रयुक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को स्वतन्त्र गवाहान की मौजुदगी में जलाकर नष्ट किये गये। फर्द बरामदगी ब्यूरो कार्यालय के लैपटॉप पर पुलिस थाना दोवडा पर समय करीब 11.20 पी.एम. पर समाप्त की गई। उक्त कार्यवाही के दौरान धारा 105, बी.एन.एस.एस. 2023 की पालना करते हुए उक्त रिश्वत राशि बरामदगी की वीडियोग्राफी मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री बाबुलाल कानि0 नम्बर 393 द्वारा सरकारी मोबाईल फोन (सेमसंग कम्पनी) के माध्यम से ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमे◌ारी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। हालात उच्चाधिकारीयों को अवगत कराये गए, उच्चाधिकारीयो के निर्देश प्राप्त किये। तत्पश्चात समय करीब 11.25 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान सहपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार एवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानिस्टेबल के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पास रखे डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा दिनांक 28.01.2026 को समय 04.46 पी.एम व समय 05.46 पी.एम तथा समय 06.52 पी.एम पर सहपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार के मोबाईल नम्बर पर आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानिस्टेबल के मोबाईल नम्बर से हुई मोबाईल वार्ताओ जिसे सहपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लैपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ताओ को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ताओ की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री महेशचन्द्र कानि0 नम्बर 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा उपरोक्त वार्ताओ में सहपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानिस्टेबल की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। दिनांक 29.01.2026 समय 01.20 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अषोक कुमार पाटीदार हैड कानि, परिवादी श्री भावेश पाटीदार सपरिवादी तथा श्री महेन्द्र पाटीदार के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्व श्री प्रकाशचन्द्र पटेल, कानिस्टेबल न. 326 पुलिस थाना दौवडा जिला डूंगरपुर व अन्य में कार्यवाही के दौरान आरोपीगण द्वारा परिवादी से एक अल्टो कार न. GJ 09 BB 3605 के डेशबोर्ड में रखे कागज पर रिश्वत राशि रखी थी जिसका धोवन लिया गया। उक्त कागज प्रकरण में अहम साक्ष्य होने से उक्त कागज को वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा मार्क D दिया गया। चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 01.30 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान व सहपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार व आरोपी प्रकाशचन्द्र पटेल कानि तथा श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा दिनांक 28.01.2026 को समय 07.07 पी.एम पर सहपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार एवं आरोपी प्रकाशचन्द्र पटेल कानि तथा श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. के मध्य हुई दिनांक 28.01.2026 को समय 07.07 पी.एम. लेनदेन रूबरू वार्ताओ जिसे सहपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लैपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ताओ को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ताओ की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री महेशचन्द्र कानि0 नम्बर 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा उपरोक्त वार्ताओ में सहपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानिस्टेबल की व एक आवाज आरोपी श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 02.15 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियानों, स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता, परिवादीगण एवं डिटेनशुदा आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. को हमरा लेकर पुलिस थाना दोवडा से कानि. के किराये के मकान बस स्टेण्ड दोवडा पर रिश्वत

राशि बरामदगी के प्रयास सरकारी वाहन से रवाना हुआ। समय करीब 03.05 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियानों, स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता, परिवादीगण एवं डिटेनशुदा आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. के रवानाशुदा आरोपी के मकान बस स्टेण्ड दोवडा पर पंहुच रिश्वत राशि बरामदगी के प्रयास किये गये रिश्वत राशि बरामद नही होने पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान पुलिस थाना दोवडा पंहुचे। तत्पश्चात समय करीब 03.10 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियानों, स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता, परिवादीगण एवं डिटेनशुदा आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि., सिलचिटशुदा आर्टिकल, डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, ट्रैप बॉक्स एवं आवश्यक संसाधन के वाहनो से पुलिस थाना दोवडा से ब्यूरो चोकी डूंगरपुर के लिए रवाना हुये। समय करीब 03.30 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियानों, स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता, परिवादीगण एवं डिटेनशुदा आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अषोक कुमार पाटीदार हैड कानि., सिलचिटशुदा आर्टिकल, डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, ट्रैप बॉक्स एवं आवश्यक संसाधन के वाहनो से पुलिस थाना दोवडा से ब्यूरो चोकी डूंगरपुर पहुंचे। समय करीब 04.00 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान, सहपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार एवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानिस्टेबल के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पास रखे डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा दिनांक 28.01.2026 को समय 11.42 पी.एम सहपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार एवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानिस्टेबल के मध्य रूबरू हुई वार्ता जिसे सहपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लैपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ताओ को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ताओ की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री महेशचन्द्र कानि0 नम्बर 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा उपरोक्त वार्ताओ में सहपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज श्री प्रकाश चन्द्र पटेल कानिस्टेबल की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की । इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया । उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 07.42 ए.एम पर परिवादी श्री भावेश पाटीदार के विरूद्व पुलिस थाना दोवडा पर प्रकरण/परिवाद दर्ज हो तो उसकी प्रमाणित फोटो प्रतिया, श्री निलेश पिता केवजी पाटीदार निवासी नयागांव के विरूद्व दर्ज परिवाद कि प्रमाणित फोटो प्रतिया, दिनांक 18.01.2026 व दिनांक 28.01.2026 को श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. नं0 326 व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. नं0. 455 पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर के आमद/रवानगी की रोजनामचा आम की नकल रपट की प्रमाणित प्रतिया उपलब्ध कराने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना दोवडा को जरिये पत्र क्रमांक 171 दिनांक 29.01.2026 जारी किया जाकर मेल किया गया । समय करीब 10.30 ए.एम पर श्री डायालाल पाटीदार पुत्र स्व. श्री गोकुल जी पाटीदार उम्र 55 वर्ष जाति पाटीदार निवासी कोकापुर पुलिस थाना सागवाडा जिला डूंगरपुर हाल एएसआई पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर हाजिर कार्यालय आये। कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर के पत्र क्रमांक 394 दिनांक 29.01.2026 के संलग्न इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 171 दिनांक 29.01.2026 की पालना मे रिकोर्ड की प्रमाणित प्रतिया पेष की जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया । तत्पश्चात समय करीब 10.45 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. के समक्ष दिनांक 28.01.2026 को सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार एवं संदिग्ध श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. तथा श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व परिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार व श्री प्रकाश चन्द्र पाटीदार हाल कानि 326,पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर के मध्य रिश्वत राशि लेन देन के दौरान हुई वार्ताओं, एव मोबाईल वार्ताए जिनकी मूल मेमोरी कार्ड जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्ड में हैं उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्ड को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि. श्री बाबुलाल से लैपटॉप से कनेक्ट करा उक्त वार्ताओं को बारी-बारी से चलाकर श्री डायालाल पाटीदार पुत्र स्व. श्री गोकुल जी पाटीदार उम्र 55 वर्ष जाति पाटीदार निवासी कोकापुर पुलिस थाना सागवाडा जिला डूंगरपुर हाल एएसआई पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर को सुनाई गई, तो उक्त दर्ज वार्ताओ में एक वार्ता श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. तथा दुसरी वार्ता श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. की होना बताया। श्री डायालाल पाटीदार ने बताया कि मैं पुलिस थाना दोवडा में एएसआई के पद पर पदस्थापित हूँ । इसलिए मैं श्री प्रकाश चन्द्र पटेल कानि. तथा दुसरी वार्ता श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. की आवाज को पहचानता हूँ तथा अन्य आवाज की पहचान नहीं की गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात श्री डायालाल पाटीदार हाल एएसआई पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर को रूखसत किया गया। समय करीब 12.45 पी.एम पर आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पिता श्री कोदर लाल पटेल निवासी हथौड पोस्ट करौली तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर हाल कानिस्टेबल न. 326 पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61(2), 238 बी.एन.एस 2023 में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार 35 ¼B½¼ii½ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानो की पालना कर

जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के ससुर श्री शंकर लाल पटेल निवासी ओडा बडा को मोबाईल नम्बर पर नियमानुसार दी गई । तत्पश्चात समय करीब 01.00 पी.एम पर आरोपीश्री अषोक कुमार पाटीदार पिता चन्द्रेश्वर जाति पाटीदार उम्र 39 वर्ष निवासी वजाखरा पुलिस थाना गढी हाल हैड कानि. न. 455 पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61(2), 238 बी.एन.एस 2023 में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार 35 ¼B½¼ii½ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानो की पालना कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के पिता श्री चन्द्रेश्वर पिता श्री जितेंग पाटीदार को मोबाईल नम्बर को नियमानुसार दी गई। समय करीब 01.15 पी.एम पर आरोपीगण श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. श्री अषोक कुमार पाटीदार हैड कानि. को अपनी आवाज का नमूना एवं स्पष्टीकरण देने हेतु कार्यालय पत्रांक 177,178,179 व 180 दिनांक 29.01.2026 दिये गये। आरोपीगण ने उक्त पत्रों पर ही अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूँ एवं मैं अपना स्पष्टीकरण बाद में प्रस्तुत करूंगा प्रत्युत्तर लिखित में पेश किया । जिसे स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करा शामिल कार्यवाही किया गया। समय करीब 01.30 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी से वीडियोग्राफी करने तथा वीडियो को ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) में रिकॉर्ड करने हेतु सरकारी मोबाईल फोन मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर निर्देशित किया गया था। जिस पर श्री बाबु लाल कानि0 द्वारा रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान की गई वीडियोग्राफी के पश्चात इस समय सरकारी मोबाईल फोन से उक्त मूल मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) निकालकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द किया जिसे मैने अपने पास सुरक्षित रखा। आरोपीगण के किराये के मकान दोवडा में होने से श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 के पास रखे एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) जो पूर्व में श्री बाबु लाल कानि0 को सुपुर्द किया गया था जिसे सरकारी मोबाईल फोन में लगवाकरमन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. व परिवादी श्री भावेश पाटीदार व सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक ब्यूरो जाप्ता श्री अख्तर खां हैड कानि. श्री बाबु लाल कानि. मय सरकारी मोबाईल फोन, लेपटॉप मय आवश्यक संसाधन के सरकारी वाहन से आरोपीगण के किराये के मकान दोवडा की खानातलाशी एवं घटनास्थल निरीक्षण हेतु रवाना हुये। समय करीब 05.35 पी. एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. व परिवादी श्री भावेश पाटीदार व सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार, श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक ब्यूरो जाप्ता श्री अख्तर खां हैड कानि. एवं श्री बाबु लाल कानि. मय सरकारी मोबाईल फोन, लेपट्रोप मय आवश्यक संसाधन के सरकारी वाहन के घटनास्थल का निरीक्षण करने हेतु रवानाशुदा फलोज वाले रोड पर स्थित श्मषान दोवडा के पास पंहुच कर नियमानुसार श्री भावेश पाटीदार व सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर रवाना हो। पुलिस थाना दोवडा पंहुचे। जहा अनुसंधान कक्ष मे आरोपी श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि0 नं0 455 के एक लोहे का बॅक्सा जिसमे ताला लगा हुआ मिला। जिस पर आरोपी श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि0 नं0 455 को उक्त ताले की चाबी के बारे मे पुछने पर उसने टेबल की दराज से चाबी निकाल कर दी। जिस पर आरोपी श्री प्रकाश चन्द्र कानि0 नं0 326 से उक्त चाबी से लोहे के बॅक्से पर लगे हुये ताले का लॉक खुलवाया गया। उक्त लोहे के बॅक्से की तलाशी के दौरान मोबाईल फोन VIVO कम्पनी मॉडल नम्बर Y28s5G बंरग परपल मिला। उक्त मोबाईल मे दो सीम लगी हुई जो एयरटेल कम्पनी की हो एक सीम के नम्बर एवं दूसरी सीम के नम्बर है। उक्त मोबाईल फोन परिवादी भावेश पाटीदार ने अपना स्वंय का होना बताया। जिस साथ लेकर रवाना हो आरोपीगण के किराये के मकान दोवडा बस स्टेण्ड पंहुच कर नियमानुसार खाना तलाशी ली गई तथा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 से सरकारी मोबाईल फोन से उक्त खाना तलाशी की विडियोग्राफी करवायी गई तथा फर्द खाना तलाशी रिपोर्ट पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये। आरोपीगणो से रिश्वत की राशि की बरामदगी करना शेष होने से दोवडा बस स्टेण्ड के पास स्थित पवन किराणा स्टोर व पुलिस थाना दोवडा के पास स्थित तिराहे के पास शाश्वत हास्पिटल के बाहर लगे सीसी टीवी केमेरो की फुटेज चैक किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान सरकारी वाहन से रवाना हो हाजिर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पंहुच मुकिम हुये । समय करीब 05.40 पी.एम पर आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि., स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाना आवश्यक होने से श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो जाप्ता श्री अख्तर खां हैड कानि व बाबु लाल कानि. मय सरकारी वाहन के गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि.,का स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु मय तेहरीर के रवाना किये गये। तत्पश्चात समय करीब 06.30 पी.एम पर श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय् श्री अख्तर खां हैड कानि व बाबु लाल कानि. मय सरकारी वाहन के गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि का स्वास्थ्य परीक्षण राजकीय हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय, डूंगरपुर से करा मय परीक्षण रिपोर्ट के उपस्थित हो मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट पेश की जिसे बाद

अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। समय करीब 06.45 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि, परिवादी श्री भावेश पाटीदार सपरिवादी तथा श्री महेन्द्र पाटीदार के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्व श्री प्रकाशचन्द्र पटेल, कानिस्टेबल न. 326 पुलिस थाना दौवडा जिला डूंगरपुर व अन्य में आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल के रिहायशी किराये का कमरा, पाटीदार काम्प्लेक्स , बस स्टेण्ड दोवडा पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर की खानातलाशी के दौरान् श्री अख्तर खांन हैड कानि. 05 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung कम्पनी के Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल मे लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा विडियोग्राफी की कॉपी कर एक पेनड्राईव SANDISK Cruzer Blade 08GB तैयार की गयी। जिस पर आईओं पेनड्राईव लिखा जाकर पेनड्राईव को अनशील्ड रखा गया। एवं मूल मेमोरी कार्ड को मोबाईल से पृथक कर मूल मेमोरी कार्ड SanDisk Micro SDHC 8GB मेमोरी कार्ड को कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मार्क M-2 अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 07.00 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि, परिवादी श्री भावेश पाटीदार सपरिवादी तथा श्री महेन्द्र पाटीदार के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्व श्री प्रकाशचन्द्र पटेल, कानिस्टेबल न. 326 पुलिस थाना दौवडा जिला डूंगरपुर व अन्य में आरोपी श्री अशोक कुमार पाटीदार के रिहायशी किराये का कमरा, पाटीदार कॉम्प्लेक्स, बस स्टेण्ड दोवडा पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर की खानातलाषी के दौरान् श्री अख्तर खांन हैड कानि. 05 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung कम्पनी के Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल मे लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा विडियोग्राफी की कॉपी कर एक पेनड्राईव SANDISK Cruzer Blade 08GB तैयार की गयी। जिस पर आईओं पेनड्राईव लिखा जाकर पेनड्राईव को अनषील्ड रखा गया। एवं मूल मेमोरी कार्ड को मोबाईल से पृथक कर मूल मेमोरी कार्ड SanDisk Micro SDHC 8GB मेमोरी कार्ड को कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मार्क M-3 अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 08.30 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि, परिवादी श्री भावेश पाटीदार सपरिवादी तथा श्री महेन्द्र पाटीदार के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्व श्री प्रकाशचन्द्र पटेल, कानिस्टेबल न. 326 पुलिस थाना दौवडा जिला डूंगरपुर व अन्य में दिनांक 28.01.2026 को अलग-अलग समय में हुई परिवादी, सहपरिवादी व आरोपीगण के मध्य रूबरू हुई मांग सत्यापन वार्ता, मोबाईल वार्ता, वाट्सएप मोबाईल वार्ता एवं रूबरू हुई लेनदेन वार्ता उक्त समस्त वार्ताऐं जो प्रक्रिया अनुसार डिजिटल टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, डिजीटल टेप रिकॉर्डर को श्री बाबुलाल कानि. से सरकारी कम्प्यूटर में कनेक्ट करा मूल मेमोरी कार्ड की नियमानुसार हेश वेल्यू निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं को कॉपीकर चार पेन ड्राईव SANDISK Cruzer Blade 08GB की तैयार की गयी । एक मुल पेनड्राईव की नियमानुसार हेश वेल्यू निकलवाकर उस मुल पेनड्राईव को कपडे की थैली में रखा जाकर मार्क PD दिया जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये एवं एक पर आईओ पेनड्राईव तथा दो पर आरोपी पेनड्राईव लिखा गया। आरोपी पेनड्राईव की नियमानुसार हेश वेल्यू निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये, तीनो पेनड्राईव को अनशील्ड रखा गया। एवंमूल मेमोरी कार्ड को डिजीटल टेप रिकोर्डर से पृथक कर मेमोरी कार्ड बरंग SANDISK 4 GB मेमोरी कार्ड कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मूल पेनड्राईव को मार्क PD एवं मूल मेमोरी कार्ड को मार्क M अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 09.00 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अषोक कुमार पाटीदार हैड कानि, परिवादी श्री भावेश पाटीदार सपरिवादी तथा श्री महेन्द्र पाटीदार के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्व श्री प्रकाशचन्द्र पटेल, कानिस्टेबल न. 326 पुलिस थाना दौवडा जिला डूंगरपुर व अन्य में ट्रेप कार्यवाही के दौरान् एक अल्टो कार न. GJ 09 BB 3605 के डेशबोर्ड में पडे कागज की धुलाई एवं हाथ धुलाई के श्री बाबुलाल कानि. के द्वारा कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung कम्पनी के Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल मे लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा विडियोग्राफी की कॉपी कर एक पेनड्राईव SANDISK Cruzer Blade 08GB तैयार की गयी। जिस पर आईओं पेनड्राईव लिखा जाकर पेनड्राईव को अनशील्ड रखा गया। एवं मूल मेमोरी कार्ड को मोबाईल से पृथक कर मूल मेमोरी कार्ड SanDisk Micro SDHC 8GB मेमोरी कार्ड को कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मार्क M-1 अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 09.15 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही में जब्तशुदा धोवन की सिल्ड शिशियां, सिल्डशुदा पेनड्राईव, मेमोरी

कार्ड, जब्त शुदा मोबाईल व आर्टीकल्स को मालखाना प्रभारी श्री वीर विक्रम सिंह को सुरक्षित रखने की हिदायत देकर सुपुर्द किये गये। समय करीब 09.30 पी.एम पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री भावेश पाटीदार तथा सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार को आवश्यक हिदायत देकर दिनांक 30.01.2026 को समय करीब 3.00 पी.एम पर पूनः ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने के निर्देश देकर रूकसत किया गया। समय करीब 10.30 पी.एम पर गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. को कार्यालय में श्री जितेन्द्र कुमार कानि व श्री बाबु लाल कानि. की निगरानी मे रख कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक, श्री वीर विक्रम सिंह कानि व गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. को हमरा लेकर रिश्वत राशि बरामदगी के प्रयास हेतु ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से दोवडा की तरफ सरकारी वाहन से रवाना हुआ। तत्पश्चात समय करीब 11.30 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक, श्री वीर विक्रम सिंह कानि व गिरप्तारषुदा आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. को हमरा लेकर रिश्वत राशि बरामदगी के प्रयास हेतु ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से बस स्टेण्ड दोवडा पर पंहुच रिश्वत राशि बरामदगी के प्रयास किये गये। रिश्वत राशि बरामद नही होने पर रवाना हो ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पंहुच मुकिम हुआ। दिनांक 30.01.2026 समय करीब 10.30 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता श्री अख्तर खां हैड कानि. व श्री जितेन्द्र कुमार कानि. तथा आरोपीगण श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि, को सरकारी वाहन से पीसी रिमाण्ड प्राप्त करने हेतु माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर क्रमांक 01 के समक्ष पेश करने हेतु मय डायरी के रवाना हुये। समय करीब 02.30 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता श्री अख्तर खांहैड कानि. व श्री जितेन्द्र कुमार कानि. तथा आरोपीगण श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि, को सरकारी वाहन से रवाना हो उदयपुर पहुंच माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश महोदय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर क्रमांक 01 के समक्ष पेश किया जाकर 1 दिन का पीसी रिमाण्ड प्राप्त कर हमराहियान के रवाना हो ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पहुंच मुकीम हुआ । तत्पश्चात समय 02.30 पी.एम पर जैर निगरानी हिरासत मुल्जिम श्री प्रकाशचन्द्र पटेल पुत्र कोदर लाल पटेल जाति पटेल निवासी हथोड पुलिस थाना बिछीवाडा हाल कानि. नं0 326 पुलिस थाना दोवडा ने मन् ट्रेपकर्ता अधिकारी को ईशारा कर पास बुलाया व स्वैच्छापूर्वक इत्तला दी की दिनांक 28.01.2026 को मैंने जो महेन्द्र पाटीदार से रिश्वत राशि 1,50,000 रूपये लिये थे, वो मैंने दोवडा हवाई पट्टी की दीवार के पास छुपा दिये थे जो मैं साथ चलकर बता सकता हूँ। जिस पर फर्द सूचना 23 (2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की मुर्तिब कर आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 03.30 पी.एम पूर्व पाबन्दशुदा दोनो स्वतन्त्र गवाहान ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये जिन्हे कार्यालय कक्ष मे बैठाया गया। समय करीब 03.45 पी.एम तक पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री भावेश पाटीदार तथा सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार दोनो ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित नही होने पर सपरिवादी को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कॉल कर कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु कहा तो सपरिवादी ने बताया की हम शादी मे आये हुये है। जिस पर सपरिवादी को पाबन्द किया की आप स्वयं व परिवादी श्री भावेश पाटीदार को लेकर डाबेला बस स्टेण्ड पर पंहुचे। समय करीब 03.50 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को बुलाकर मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज में से सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी (Galaxy XCover7ekWMy-SM-G556B), चार्जींग केबल, पॉवर बैंक व दो रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड निकलवाकर उक्त समस्त उपकरणों की जांच की गई तो उक्त समस्त उपकरण सही ढंग से संचालित होना पाये गये तथा सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी में एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) डलवाकर उक्त सरकारी मोबाईल फोन को श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को सुपुर्द कर रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान वीडियोग्राफी कर वीडियों को उक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करने हेतु निर्देशीत किया गया। समय करीब 04.00 पी.एम पर आरोपी श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. को कार्यालय में श्री अख्तर खां हैड कानि. व श्री जितेन्द्र कुमार कानि की निगरानी मे रख कर मन् पुलिस उप अधीक्षक,दोनो स्वतन्त्र गवाहानश्री नौशाद खां, श्री बंषीलाल, श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक, श्री धिरेन्द्र सिंह कानि, श्री वीर विक्रम सिंह कानि व श्री बाबु लाल कानि.,गिरफ्ता शुदा आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि.मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बाॅक्स व आवश्यक संसाधनों के सरकारी वाहन से आरोपी श्री प्रकाषचन्द्र पटेल कानि. द्वारा दी गई स्वैच्छापूर्वक इत्तला के अनुसार ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से हवाई पट्टी दोवडा के लिए रवाना हुये। समय करीब 04.45 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के सरकारी वाहन से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से रवानाशुदा समय 04.37 पी.एम पर बस स्टेण्ड डाबेला पंहुचे जहा परिवादी श्री भावेश पाटीदार व श्री महेन्द्र पाटीदार निजी कार से उपस्थित आये जहा से रवाना हो दोवडा हवाई पट्टी के लिए रवाना हो हवाई पट्टी मेन गेट के पास पंहुचकर सरकारी वाहन से निचे उतरे जहां आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. से रिश्वत राशि के बारे मे पूछने पर आरोपी श्री प्रकाश चन्द्र पटेल आगे-आगे चल कर भाटडा रोड पर हवाई पट्टी की बाउण्ड्री की दिवार के पास झाडीयो मे एक पत्थर को ऊॅचा किया जिसके निचे पोलिथीन की थैली मे 500-500 रूपये के नोट दिखे जिस पर स्वतन्त्र गवाह श्री नौशाद खां से उक्त पोलिथीन की थैली को झाडियो से बाहर निकलवा कर थैली मे रखे 500-500 रूपये के नोटो को दोनो स्वतंत्र गवाहानो से गिनवाये गये तो भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 300 नोट राशि 1,50,000 रूपये होना बताया। उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिबशुदा फर्द पेशकशी नोट से किया गया तो नोटो के नम्बर समान

पाये गये। उक्त रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 300 नोट राशि 1,50,000 रूपये के नोटों को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट करा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात रिश्वत राशि जिस पोलिथिन की थैली मे मिली उक्त थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उक्त पोलिथिन को समेटकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क S अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो ली गई। फर्द बरामदगी ब्यूरो कार्यालय के लैपटॉप पर समय करीब 05.10 पी.एम. पर समाप्त की गई। उक्त कार्यवाही के दौरान धारा 105, बी.एन.एस.एस. 2023 की पालना करते हुए उक्त रिश्वत राशि बरामदगी की वीडियोग्राफी मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री बाबुलाल कानि0 नम्बर 393 द्वारा सरकारी मोबाईल फोन (सेमसंग कम्पनी) के माध्यम से ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमे◌ारी कार्ड में रिकॉर्ड की गई तथा उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कि गई। मौके पर लाईट की सुविधा नही होने से उक्त कार्यवाही का रनिग नोट व फर्द की प्रिन्ट ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पंहुच निकाल कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात फर्द नक्क्षा मौका रिश्वत राशि बरामदगी स्थल मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा शामिल कार्यवाही की गई। समय करीब 05.12 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने स्वतन्त्र गवाहान व उपस्थितो के समक्ष आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. से रिष्वत राषि 1,50,000 रूपये किसके लिये ली थी के बारे मे पूछने पर आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. ने बताया की उक्त रिश्वत राशि 1,50,000 रूपये मेरे व श्री अशोक जी हैड साहब के लिये हमने ली थी। समय करीब 05.20 पी.एम पर परिवादी व सपरिवादी को अपनी निजी कार से रवाना कर उनके पिछे-पिछे मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियानों, स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता, आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. सिलचिटशुदा रिश्वत राशि , आर्टिकल, ट्रैप बॉक्स एवं आवश्यक संसाधन के सरकारी वाहन से हवाई पट्टी दोवडा से ब्यूरो चैकी डूंगरपुर के लिए रवाना हुये। समय करीब 06.00 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियानों, स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता, आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. सिलचिटशुदा रिश्वत राशि , आर्टिकल, ट्रैप बॉक्स एवं आवश्यक संसाधन के सरकारी वाहन से हवाई पट्टी दोवडा से ब्यूरो चोकी डूंगरपुर के लिए रवाना शुदा ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पंहुचे। समय करीब 06.05 पी.एम पर परिवादी श्री भावेश पाटीदार व सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार अपनी कार से ब्युरो कार्यालय उपस्थित आये। समय करीब 06.15 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहानएवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि, परिवादी श्री भावेश पाटीदार सपरिवादी तथा श्री महेन्द्र पाटीदारके समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्व श्री प्रकाशचन्द्र पटेल, कानिस्टेबल न. 326 पुलिस थाना दौवडा जिला डूंगरपुर व अन्य में कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना दोवडा के अन्दर अनुसंधान कक्ष मे आरोपी श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि0 नं0 455 के एक लोहे का बॅक्सा जिसमे ताला लगा हुआ मिला। जिस पर आरोपी श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि0 नं0 455 को उक्त ताले की चाबी के बारे मे पुछने पर उसने टेबल की दराज से चाबी निकाल कर दी । जिस पर आरोपी श्री प्रकाश चन्द्र कानि0 नं0 326 से उक्त चाबी से लोहे के बॅक्से पर लगे हुये ताले का लॉक खुलवाया गया। उक्त लोहे के बॅक्से की तलाशी के दौरान मोबाईल फोन VIVO कम्पनी मॉडल नम्बर Y28s5G बंरग परपल मिला। उक्त मोबाईल मे दो सीम लगी हुई जो एयरटेल कम्पनी की हो एक सीम के नम्बर एवं दूसरी सीम के नम्बर है। उक्त मोबाईल फोन परिवादी भावेश पाटीदार ने अपना स्वंय का होना बताया। उक्त मोबाईल फोन को उक्त कार्यवाही में वजह सबूत मय सीम के जप्त कर कपडे की थैली में सीलचिट किया जाकर मार्क V-1दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 06.45 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहानएवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि, परिवादी श्री भावेश पाटीदार सपरिवादी तथा श्री महेन्द्र पाटीदारके समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्व श्री प्रकाशचन्द्र पटेल, कानिस्टेबल न. 326 पुलिस थाना दौवडा जिला डूंगरपुर व अन्य में आरोपी श्री अशोक कुमार पाटीदार, हैड कानि. का एक मोबाईल OPPO कम्पनी मॉडल A5 Pro 5G मय दो सीम एयरटेल कम्पनी कीनम्बर एवं जीओ नम्बर की लगी हूई हो प्रकरण में अहम साक्ष्य होने से उक्त मोबाईल को वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा मार्क व्दिया गया। चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये । उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 06.45 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि, परिवादी श्री भावेश पाटीदार सपरिवादी तथा श्री महेन्द्र पाटीदार के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्व श्री प्रकाश चन्द्र पटेल, कानिस्टेबल न. 326 पुलिस थाना दौवडा जिला डूंगरपुर व अन्य में आरोपी श्री अशोक कुमार पाटीदार, हैड कानि. का एक मोबाईल OPPO कम्पनी मॉडल A5 Pro 5G मय दो सीम एयरटेल कम्पनी कीनम्बर एवं जीओ नम्बर की लगी हूई हो प्रकरण में अहम साक्ष्य होने से उक्त मोबाईल को वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा मार्क O दिया गया। चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये।उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 07.35 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि, परिवादी श्री भावेश पाटीदार सपरिवादी तथा श्री महेन्द्र पाटीदारके समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्व श्री प्रकाशचन्द्र पटेल, कानिस्टेबल न. 326 पुलिस थाना दोवडा जिला

डूंगरपुर व अन्य में हवाई पट्टी दोवडा की बाउण्ड्री के पास झाडीयों में एक पत्थर के नीचे पोलीथीन की थेली में रखी हुई रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 300 नोट कुल 1,50,000/- रूपये बरामदगी के दौरान कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung कम्पनी के Xcover7 से श्री बाबुलाल कानि. से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल मे लगे मूल मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा विडियोग्राफी की कॉपी कर दो पेनड्राईव SANDISK Cruzer Blade 08GB तैयार की गयी। जिसमें से एक पर आईओं पेनड्राईव व दुसरे पर आरोपी पेनड्राईव लिखा जाकर पेनड्राईव को अनशील्ड रखा गयाएवं मूल मेमोरी कार्ड को मोबाईल से पृथक कर मूल मेमोरी कार्ड SanDisk Micro SDHC 8GB मेमोरी कार्ड को कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मार्क M-4 अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। समय करीब 08.15 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि, परिवादी श्री भावेश पाटीदार सपरिवादी तथा श्री महेन्द्र पाटीदार के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्व श्री प्रकाशचन्द्र पटेल, कानिस्टेबल न. 326 पुलिस थाना दौवडा जिला डूंगरपुर व अन्य में आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल, कानि. का एक मोबाईल VIVO कम्पनी मॉडल V30 मय एक सीम एयरटेल कम्पनी की नम्बर की लगी हूई प्रकरण में अहम साक्ष्य होने से उक्त मोबाईल को वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा मार्क V दिया गया। चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये । उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 08.30 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही में जब्तशुदा धोवन की सिल्ड शिशियां, सिल्डशुदा पेनड्राईव, मेमोरी कार्ड, जब्त शुदा मोबाईल रिश्वत राशि व आर्टीकल्स को मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर सुरक्षित रखने की हिदायत मालखाना प्रभारी श्री वीर विक्रम सिंह को दी गई। समय करीब 09.30 पी.एम पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री भावेश पाटीदार तथा सपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार को आवश्यक हिदायत देकर रूकसत किया गया। इस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से यह पाया गया हैं कि दिनांक 28.01.2026 को परिवादी श्री भावेष पाटीदार पुत्र श्री हुका पाटीदार उम्र 23 वर्ष निवासी ओडा फला गजियाणा तहसील आसपुर पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर व सहपरिवादी श्री महेन्द्र पाटीदार पुत्र श्री हुका पाटीदार उम्र 31 वर्ष निवासी ओडा फला गजियाणा तहसील आसपुर पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हुये व परिवादी श्री भावेष पाटीदार ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आषय कि पेष की "निवेदन है कि मै प्रार्थी भावेष पाटीदार पुत्र श्री हुका पाटीदार उम्र 23 वर्ष निवासी ओडा फला गलियाणा तहसील आसपुर पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर का रहने वाला हुं। मै दिनांक 18.01.2026 रविवार को दिन मे करीब 02.30 बजे इण्डियन पेट्रोल पम्प के पास नयागांव मे खडा था। इतने मे पुलिस की एक गाडी आकर मेरे पास रूकी और उसमे बैठे हुये पुलिसवाले ने मुझसे पूछा की निलेष पिता केवजी पाटीदार निवासी नयागांव का घर किधर है तो मैंने कहा ॅ की मुझे निलेष के घर का पता नही है। फिर मुझे पुलिसवाले ने मेरा नाम पूछा तो मेने मेरा नाम भावेष पाटीदार होना बताया जिस पर पुलिसवाले ने मुझ से कहा की तेरा मोबाईल मुझे दे जिस पर मेने मेरा मोबाईल पुलिसवाले को दिया उसने मेरा मोबाईल खोलकर देखा और मुझे कहा की तुभी लोकेन्टो खेलकर लोगो के साथ ठगी करता है। तेरे मोबाईल मे बहुत सारे लेन-देन हो रखे है। यह कहते हुये मुझे पुलिसवाले ने पुलिस की गाडी मे बैठाकर वहा से पुलिस थाना दोवडा की तरफ रवाना हुये। रास्ते मे पुलिसवाले ने मुझे बताया की मेरा नाम प्रकाष पाटीदार है। मेरी डयूटी पुलिस थाना दोवडा मे है। दोवडा थाने मे सीआई साहब भी पाटीदार है, मै सीआई साहब से बात करके तेरे खिलाफ मुकदमा नही होने दुंगा व तेरा मोबाईल भी तुझे वापस दे दुंगा। तुम आॅनलाईन गेम खेलकर लोगो के साथ ठगी कर रहे हो पुलिस थाने मे मुकदमा दर्ज हो गया तो जिन्दगी खराब हो जायेगी। महीनो तक जमानत नही होगी मै तुझे अभी यही पर उतार देता हुं और मेरे मोबाईल नम्बर लिखकर देता हुं। तुम अपने किसी समझदार परिवारवाले से बात करवाना नही तो तुम दो लाख रूपये लेकर चुपचाप पुलिस थाना दोवडा आकर मुझसे मिल कर दो लाख रूपये मुझे दे देना मै सीआई साहब से बात कर के तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज नही होने देंगे ें और तेरा मोबाईल वापस दे देगं ें। उसके बाद पुलिस की गाडी रोक कर मुझे वागदरी उतार कर चले गये। जिस पर मैने यह बात मेरे बडे भाई महेन्द्र जी पाटीदार को बताई। दिनांक 20.01.2026 व 24.01.2026 को मेरे भाई महेन्द्र जी ने प्रकाष जी पाटीदार कानिस्टेबल पुलिस थाना दोवडा से जरिये मोबाईल पर वार्ता की जिस पर प्रकाष जी कानिस्टेबल ने कहा मोबाईल पर बात नही होती पुलिस थाना दोवडा आकर मिलो। इस प्रकार श्री प्रकाष जी पाटीदार मुझ से दो लाख रूपये की रिष्वत राषि की मांग कर रहे है। मै श्री प्रकाष जी पाटीदार कानिस्टेबल को रिष्वत राषि नही देना चाहता हुं रिष्वत लेते हुऐ रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं। मेरी श्री प्रकाष जी पाटीदार कानिस्टेबल से पुरानी कोई लेन-देन बाकी नही है, न ही कोई पुरानी दुष्मनी है, रिपोर्ट पर उचित कार्यवाही करावे।" परिवादी की रिपोर्ट एवं जरिये दरियाफ्त मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने पर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन कराया गया। दौराने मांग सत्यापन आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. 326 व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. 455 द्वारा परिवादी श्री भावेश पाटीदार से 1,50,000 रूपये रिश्वत् मांगने की पुष्टि हुई जिस पर दिनांक 28.01.2026 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया तो आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. द्वारा अपनी अल्टो कार मे सपरिवादी महेन्द्र पाटीदार को बैठाकर फलोज जाने वाले रोड पर बने

श्मशान के पास ले जाकर उक्त आरोपीयों द्वारा सपरिवादी से 1,50,000 रूपये रिश्वत् राशि को उक्त अल्टो कार के अन्दर आगे डेशबोर्ड के अन्दर दराज मे रखवाई गई व सपरिवादी को वापस थाने के बाहर छोडकर भाग गये। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता द्वारा पिछा किया गया। लेकिन रात हो अंधेरा होने से आरोपीगण ओझल हो गये। जिनको काफी मशक्कत कर पकडा व प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. व श्री अशोक कुमार पाटीदार हैड कानि. को गिरफ्तार किया गया। जिनसे रिश्वत राशि बरामद नही हुई। जिस पर रिश्वत राशि बरामद करना आवश्यक होने से दिनांक 30.01.2026 को आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. 326 व श्री अशोक कुमार पाटीदार कानि. 455 को पी.सी. रिमाण्ड हेतु माननीय विशिष्ट न्यायाधीश महोदय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट संख्या-01 उदयपुर के समक्ष पेश किया गया। जिस पर माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा 01 दिन का पी.सी. रिमाण्ड स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पटेल कानि. की फर्द सूचना मुताबिक रिश्वत राशि 1,50,000 रूपये बरामद की गई, जो जुर्म अन्तर्गत धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) 61(2), 238 बीएनएस 2023 के तहत दण्डनीय अपराध हैं। आरोपीगणों द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 28.01.2026 के दौरान बार-बार रिश्वत राशि सीआई साहब थानाधिकारी पुलिस थाना दोवडा के लिये रिश्वत राशि की मांग कर रहे थे। टेªप कार्यवाही के दौरान श्री परमेश्वर पाटीदार पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना दोवडा को मौके पर उपस्थित होने हेतु पुलिस थाना दोवडा के मौजुद स्टाफ को कहाँ था, लेकिन थानाधिकारी उपस्थित नही हुआ । तत्पश्चात् इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 171 दिनांक 29.01.2026 द्वारा तलब किया गया लेकिन थानाधिकारी उपस्थित नही हुआ । इस प्रकार श्री परमेश्वर पाटीदार पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना दोवडा की भुमिका भी संदिग्ध प्रतीत होती है। जो अनुसंधान से स्थिति स्पष्ट होगी । अतः आरोपी श्री प्रकाशचन्द्र पिता कोदर लाल पटेल, जाति पटेल उम्र 26 वर्ष निवासी हथौड पोस्ट करौली तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर हाल कानि0 नं0 326 पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर एवं श्री अशोक कुमार पाटीदार पुत्र श्री चन्द्रेश्वर पाटीदार जाति पाटीदार उम्र 39 वर्ष निवासी वजाखरा पुलिस थाना गढी जिला बांसवाडा हाल हैड कानि0 नं0 455 पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट जुर्म अन्तर्गत धारा-7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2), 238 बी.एन.एस. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित हैं। भवदीय, (रतनसिंह राजपुरोहित) पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रतनसिंह राजपुरोहित, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2), 238 बी.एन.एस. 2023 में आरोपीगण 1. श्री प्रकाशचन्द्र पिता कोदर लाल पटेल, जाति पटेल उम्र 26 वर्ष निवासी हथौड पोस्ट करौली तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर हाल कानि0 नं0 326 पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर एवं 2. श्री अशोक कुमार पाटीदार पुत्र श्री चन्द्रेश्वर पाटीदार जाति पाटीदार उम्र 39 वर्ष निवासी वजाखरा पुलिस थाना गढी जिला बांसवाडा हाल हैड कानि0 नं0 455 पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री लक्ष्मण लाल डांगी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,एस.यू. उदयपुर मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 546 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 160-63 दिनांक 01.02.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर 2- पुलिस अधीक्षक, जिला डूंगरपुर 3- - उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर रेंज 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** LAKSHMAN LAL DANGI **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 01/02/2026 21:11:53

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	2000				
2	Male	1987				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)